

2009-10 **वार्षिक रिपोर्ट**
ANNUAL REPORT



पी.एस.बी.


ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਤਹ ॥

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

(भारत सरकार का उपक्रम) (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ)

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)




गुरुद्वारा सीसगंज साहिब-दिल्ली / Gurudwara Sisganj Sahib-Delhi



विषय सूची / CONTENTS

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
निदेशक-मंडल / Board of Directors	3
महाप्रबंधक / General Managers	3
कार्य-निष्पादन सूचक / Performance Indicators	4
निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन / Directors' Report	5
तुलन-पत्र / Balance Sheet	22
लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	23
अनुसूचियां / Schedules.....	24
लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन / Auditors' Report.....	63
बेसल-II / Basel-II	66



प्र. का. राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली / H.O. Rajendra Place, New Delhi

उल्लेखनीय तथ्य / HIGHLIGHTS

	रुपर (लाखों में)/Rs. (in lacs) यथा/as on 31-03-2010
शुद्ध लाभ Net Profit	50880
जमा Deposits	4915509
अग्रिम (बी.एस.) Advances (B.S.)	3263911
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	1075380
निवेश (बी.एस.) Investments (B.S.)	1788684
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	1.05
शुद्ध एनपीए अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	0.36
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-I) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	11.74
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	13.10

24 जून, 1908 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित

Serving the Nation since 24th June, 1908

प्रधान कार्यालय : "बैंक हाउस", 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

Head Office : 'Bank House', 21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Visit us at : www.psbindia.com



निदेशक मंडल / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

स. जी. एस. वेदी
S. G. S. Vedi

कार्यकारी निदेशक Executive Director

श्री पी. के. आनन्द
Sh. P. K. Anand

निदेशक Directors

श्री ए. भट्टाचार्य
Sh. A. Bhattacharya

श्री आर. सदानन्दम
Sh. R. Sadanandam

श्री संदीप घोष
Sh. Sandip Ghose

श्री ए. के. सुराना
Sh. A. K. Surana

श्री एम. वी. एस. प्रसाद
Sh. M. V. S. Prasad

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत
Sh. Krishan Murari Gangawat

श्री हरि चन्द बहादुर सिंह
Sh. Hari Chand Bahadur Singh

महाप्रबंधक General Managers

स. जी. एस. रेखी
मुख्य महाप्रबंधक
S. G. S. Rekhi
Chief General Manager

स. एच. एस. मक्कड़
S. H. S. Makker

स. एच. एस. लाम्बा
S. H. S. Lamba

स. पी. एस. घावरी
S. P. S. Ghawri

स. जे. एस. कोचर
S. J. S. Kochar

स. जी. एस. बिन्द्रा
S. G. S. Bindra

स. के. एस. सचदेवा
S. K. S. Suchdeva

स. एम. एस. सोढी
S. M. S. Sodhi

स. गुरचरन सिंह
S. Gurcharan Singh

स. जी. एस. मलिक
S. G. S. Malik

स. एच. पी. सिंह
S. H. P. Singh

स. मंजीत सिंह
S. Manjit Singh

श्री दिनेश कुमार गुप्ता
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. Dinesh Kumar Gupta
Chief Vigilance Officer

लेखा परीक्षक Auditors

एस. लाल एण्ड कं.
S. Lall & Co.

बंसल सिन्हा एण्ड कं.
Bansal Sinha & Co.

बलराम चन्द्रा एण्ड एसोसिएट्स
Balram Chandra & Associates


भाटिया एण्ड भाटिया
Bhatia & Bhatia

अलका एण्ड सुनील
Alka & Sunil




कार्य-निष्पादन सूचक/Performance Indicators


बैंक ने व्यवसाय में 37.93% की वृद्धि प्राप्त की।
Bank achieved 37.93% growth in business.




बैंक ने परिचालन तथा शुद्ध लाभ में क्रमशः 21.60% तथा 18% की वृद्धि प्राप्त की।
Operating & net profit of the Bank have registered a growth of 21.60% & 18% respectively.



विगत कुछ वर्षों से एन.पी.ए. प्रतिशत के स्तर में कमी आ रही है। उद्योग में सकल एन.पी.ए. निम्न स्तर पर है।
Percentage of NPA levels declining over the past few years. Gross NPA lowest in the Industry.



विगत कुछ वर्षों से व्यापार तथा प्रति कर्मचारी लाभ में लगातार सुधार हो रहा है।
Consistent improvement in business & profit per employee over the last few years.





निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2009-10

निदेशक मंडल 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते को प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव करता है।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2008-09 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनेक उतार-चढ़ाव महसूस किए। विगत तीन वित्तीय वर्षों में औसतन 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय मंदी के कारण वर्ष 2008-09 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अपेक्षाकृत 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा। हालांकि वर्ष 2009-10 जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर प्रारम्भ हुआ किंतु विश्व अर्थव्यवस्था ने सुधार के संकेत देने शुरू कर दिए, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की अपेक्षा प्रभावी थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था उन्नति के पथ पर अग्रसर है। अक्टूबर, 2009 से निर्यात में वृद्धि हो रही है, जिसकी भविष्य में भी जारी रहने की सम्भावना है। औद्योगिक क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि आधार बने हुए हैं और घरेलू और बाहरी मांग की बढ़त की पृष्ठभूमि में आगे भी पुख्ता होने की सम्भावना है। सेवा-क्षेत्र के विभिन्न अग्रणी संकेतक भी सतत आर्थिक गतिविधि का संकेत देते हैं।

अर्थव्यवस्था के विकास में आई गिरावट की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है, किंतु मुद्रा स्फीति की स्थिति में बदलाव चिंताजनक बने हुए हैं। डब्ल्यू.पी.आई. में वर्ष दर-वर्ष अन्तर, जो सितम्बर 2009 में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 में 9.9 प्रतिशत हो गए हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की तृतीय तिमाही समीक्षा में मार्च 2010 के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल अवधारणा से अधिक है।

आरम्भिक मुद्रा स्थिति दबाव मुख्यतः खाद्यान्न एवं ईंधन मूल्यों में वृद्धि से अभिप्रेरित था, जो कि निरन्तर आपूर्ति दबावों से युक्त वर्ष के दूसरे उत्तरार्द्ध में आपूर्ति के निरन्तर दबावों से कृषि उत्पादों पर न्यून मानसून का परिचायक है। यह स्थिति गैर-खाद्यान्न विनिर्माण उत्पादों में मंदी में तेजी से मुद्रा स्फीति की नवम्बर 2009 में -0.4 प्रतिशत से मार्च 2010 में 4.7 प्रतिशत की स्थिति से यह साबित हो जाता है।

आर्थिक बदलाव के चलते सुदृढ़ उपायों से युक्त इन मुद्रा स्फीति स्थितियों ने मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं पर ध्यान केन्द्रित कर भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति में बदलाव के लिए विवश किया।

आर्थिक कार्यकलापों में मजबूत सुधार की पृष्ठभूमि में व्यापक धन (एम-3) में वृद्धि तथा निजी क्षेत्र में ऋण प्रवाह वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की सूच्य अभिकल्पनाओं से अधिक रहा। एक ओर जहां जनवरी 2010 की तीसरी तिमाही नीति समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नकद तरलता अनुपात में वृद्धि से अतिरिक्त नकदी में कतिपय सुधार हुआ, वहीं कुल मिलाकर नकदी की स्थिति संतोषजनक रही।

DIRECTORS' REPORT 2009-10

The Board of Directors takes pleasure in presenting the Bank's Annual Report, the Balance-Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2010.

ECONOMIC SCENARIO

The Indian economy experienced moderation during the year 2008-09 in the wake of the global economic slowdown. India's GDP grew by a relatively modest rate of 6.7% in 2008-09 due to global slowdown after registering an average 9% growth in the previous three financial years. Though 2009-10 began with a difficult global scenario but the world economy started showing sign of recovery due to which Indian economy was also continued to grow by over 7% which was impressive by global standards.

The Indian Economy is firmly on the recovery path. Exports have been expanding since October 2009, a trend that is expected to continue. The industrial sector recovery is increasingly broad-based and is expected to take firmer hold going forward on the back of rising domestic and external demand. Various lead indicators of service sector activity also suggest increased economic activity.

The economy is recovering rapidly from the growth slowdown but the developments on the inflationary front are worrisome. The headline inflation, as measured by year-on-year variation in WPI, accelerated from 0.5% in September 2009 to 9.9% in March 2010, exceeding RBI's baseline projection of 8.5% for March 2010 set out in the third quarter review.

The initial inflationary pressure was predominantly conditioned by rising food & fuel prices, reflecting the impact of a deficient monsoon on agricultural output and the increase in international crude prices. In the second half of the year, with persistent supply side pressures, inflation became increasingly generalized. This is evident from the acceleration of inflation in non-food manufactured products from -0.4% in November 2009 to 4.7% in March 2010.

These inflationary conditions, coupled with the stronger momentum seen in the pace of economic recovery, created the compelling ground for altering the Reserve Bank's policy focus to anchoring inflation expectations.

Reflecting the stronger recovery in economic activities, growth in broad money (M3) and flow of credit to private sector exceeded the RBI's indicative projections for 2009-10. While the increase in CRR affected by the RBI in its Third Quarter Policy Review of January 2010 led to some moderation in excess liquidity, overall liquidity conditions remain comfortable.



बैंकिंग प्रणाली में सरकार को धन का प्रवाह वर्ष के दौरान मौद्रिक विस्तार का मुख्य स्रोत रहा। वाणिज्यिक क्षेत्र को संसाधनों के प्रवाह में बैंक के साथ-साथ गैर-बैंक स्रोतों से विशेष सुधार आया।

प्रगति के पथ पर, स्थिति में सुधार तथा मुद्रा स्फीति के बढ़ते स्तर के फलस्वरूप धन की मांग में तेजी से वृद्धि आ सकती है।

कुल मिलाकर वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही के आस-पास शुरू हुए आर्थिक बदलाव ने अब निरंतर सुधारों को परिलक्षित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदर्शित यह तीव्र विकास अपनी आंतरिक शक्ति का घटक है।

वर्ष 2009-10 में बैंक का कार्य-निष्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने चौतरफा उन्नति की। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन की प्रमुख बातें निम्न प्रकार से हैं :-

मूल वित्तीय संकेतकों के अंतर्गत कार्य निष्पादन

The banking system's credit to the Govt. was the prime driver of monetary expansion during the year. The flow of resources to commercial sector distinctly improved from both bank as well as non-bank sources.

Going forward, the demand for money may increase with acceleration in recovery and the elevated level of inflation.

On the whole, the economic recovery, which began around the second quarter of 2009-10, has since shown sustained improvement. This fast growth displayed by the Indian Economy is indicative of its inherent strength.

BANK'S PERFORMANCE IN 2009-10

During the year 2009-10, the Bank made significant all-round progress. The highlights of the Bank's performance during the year, as compared to those of the previous year are as under:-

PERFORMANCE UNDER KEY FINANCIAL INDICATORS

(रुपये लाखों में / Rs. in Lacs)

विवरण / Particulars	वर्ष की समाप्ति पर / Year Ended		प्रतिशत बदलाव %age change
	31.03.2010	31.03.2009	
ब्याज आय / Interest Income	393418	324717	21.16%
अन्य आय / Other Income	41180	40769	1.01%
कुल आय / Total Income	434598	365486	18.91%
कुल व्यय / Total Expenditure	346842	293315	18.25%
परिचालन लाभ / Operating Profit	87756	72171	21.60%
शुद्ध लाभ / Net Profit	50880	43118	18.00%
आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	1.05%	1.24%	-
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन आई एम) / Net Interest Margin (NIM)	2.44%	2.91%	-
सकल अनर्जक आस्तियां / Gross NPAs (%)	0.63%	0.65%	-
शुद्ध अनर्जक आस्तियां / Net NPAs (%)	0.36%	0.32%	-
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल I) / Capital Adequacy Ratio (%) (Basel I)	11.74%	11.88%	-
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल II) / Capital Adequacy Ratio (%) (Basel II)	13.10%	14.35%	-
ईपीएस / EPS	26.98	7.31	-

पूंजी एवं आरक्षित राशि

बैंक की प्रदत्त पूंजी बिना किसी परिवर्तन के निम्नानुसार दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार 383.06 करोड़ रही।

CAPITAL & RESERVES

The Paid-up Capital of the Bank remained unchanged at Rs.383.06 crore as detailed below:



(राशि करोड़ों में)

विवरण	यथा 31.03.2010	यथा 31.03.2009
प्रदत्त पूंजी	183.06	183.06
बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	200.00	200.00
कुल	383.06	383.06

(Amount in Crore)

Particulars	As on 31.03.2010	As on 31.03.2009
Equity Capital	183.06	183.06
Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS)	200.00	200.00
Total	383.06	383.06

31.03.2009 को बैंक की शुद्ध मालियत 1634.33 करोड़ रुपए थी जो कि 31.03.2010 को बढ़कर 2128.23 करोड़ रुपए हो गई।

The Net Worth of the Bank has improved from Rs.1634.33 crore as on 31.03.2009 to Rs. 2128.23 crore as on 31.03.2010.


बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II) 31.03.2010 को 13.10% रहा जबकि इसके लिए न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता कोर सी.आर.ए.आर. 7.68% के साथ 9% है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 375.00 करोड़ रुपए के प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय व गौण (टीयर-II) बांड जारी किए गए।

The Capital Adequacy Ratio (Basel II) of the Bank is 13.10% as on 31.03.2010 against the minimum stipulated requirement of 9% with core CRAR at 7.68%. During the year, the Bank issued redeemable, non-convertible subordinated (Tier-II) Bonds for Rs.375.00 crore.

सकल व्यापार

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 81,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत व्यवसाय कर एक अन्य मील के पत्थर को छुआ है। वर्ष 2009-2010 के अंत में बैंक के कुल व्यवसाय में 22520.01 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है तथा यह 59373.75 करोड़ से बढ़कर 81893.76 करोड़ रुपए हो गया है जो कि 37.93% की वृद्धि को दर्शाता है।

TOTAL BUSINESS




The aggregate business of the Bank crossed another milestone mark of Rs.81,000 crore during the financial year 2009-10. The total business of the Bank increased by Rs.22520.01 crore to Rs.81893.76 crore at the end of the year 2009-10, from Rs.59373.75 crore, recording a growth rate of 37.93%.

लाभ

बैंक का रिकार्ड शुद्ध लाभ 18% की वृद्धि दर्ज करते हुए इस वर्ष 508.80 करोड़ रुपए हो गया जो कि पिछले वर्ष 2008-09 के दौरान 431.18 करोड़ रुपए था। बैंक के परिचालन लाभ में 21.60% की वृद्धि दर्ज की गई जो कि वर्ष 2008-09 के 721.71 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 877.56 करोड़ रुपए रहा।

PROFITS




During the year, Bank has posted a record Net Profit of Rs.508.80 crore from Rs.431.18 crore during 2008-09, registering a growth of 18%. Operating Profit of the Bank increased by 21.60% at Rs.877.56 crore in comparison to Rs.721.71 crore in 2008-09.



जमा राशि

बैंक की कुल जमा राशि में 41.76% की वृद्धि दर्ज की गई जिससे शुद्ध अभिवृद्धि 14479.44 करोड़ रुपए होने से 31 मार्च 2010 को यह 49155.09 करोड़ रुपए हो गई, जो कि 31 मार्च 2009 को 34675.65 करोड़ रुपए थी। बैंक की जमा-राशियों की औसत लागत पिछले वर्ष की 7.08% की तुलना में 6.32% रही।

DEPOSITS




Total deposits of the Bank registered a growth of 41.76% with net accretion of Rs.14479.44 crore, to reach Rs.49155.09 crore as on March 31, 2010 from Rs.34675.65 crore as on March 31, 2009. The average cost of deposit of the Bank stood at 6.32% compared to 7.08% in previous year.

अग्रिम

दिनांक 31.03.2009 के कुल 24698.10 करोड़ रुपए के अग्रिम में 32.56% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2010 को बैंक के कुल अग्रिम 32738.67 करोड़ रुपए हो गए। अग्रिमों पर औसत प्रतिफल पिछले वर्ष के 11.79% की तुलना में 10.45% हो गया।

ADVANCES




The Bank's overall advances increased by 32.56% from Rs.24698.10 crore as on 31.03.2009 to Rs. 32738.67 crore as on 31.03.2010. The average yield on advances stood at 10.45% as on 31.03.2010 compared to 11.79% last year.

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक के दिनांक 31.03.2009 के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 7388.41 करोड़ रुपए से दिनांक 31.03.2010 को 10753.80 करोड़ रुपए हो गए जो कि समायोजित शुद्ध बैंक ऋणों हेतु 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में 43.54% हैं। वर्ष 2009-10 में प्राथमिकता क्षेत्र के सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। विभिन्न ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बैंक के प्रमुख महत्त्व वाले क्षेत्र रहे। हमारा बैंक काश्तकार और अलिखित पट्टेदार किसानों सहित लघु एवं सीमांत किसानों को 7% के सस्ते दर पर व्यापक रूप से ऋण उपलब्ध करा रहा है।

PRIORITY SECTOR ADVANCES



Priority Sector advances of the Bank increased from Rs.7388.41 crore as on 31.3.2009 to Rs. 10753.80 crore as on 31.3.2010, stood at 43.54% of Adjusted Net Bank Credit as against national target of 40%. The Bank has achieved overall Priority Sector targets for the year 2009-10. Various rural development and poverty alleviation programmes continued to be thrust areas during the current fiscal. Bank continued providing credit to small & marginal farmers including tenant farmers and oral lessees at cheaper interest rate of 7% p.a.



विशेष कृषि ऋण योजना

बैंक पिछले अनेक वर्षों से लगातार 100 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक के ऋण कृषि-क्षेत्र को दे रहा है। इस वर्ष भी बैंक ने विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत 3015 करोड़ रुपये के लक्ष्य के एवज में 3860 करोड़ रुपये वितरित किए जो कि कुल लक्ष्य का 216.46% है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

SPECIAL AGRICULTURAL CREDIT PLAN (SACP)

The Bank maintained Credit Flow to Agriculture more than 100% of the allocated target consecutively over the past several years. This year, Bank disbursed Rs. 8355 crore under Special Agriculture Credit Plan against the target of Rs.3860 crore, achieving 216.46%. The performance for the last three years is as under:

(राशि करोड़ों में / Amt. in crore)

2007-08			2008-09			2009-10		
वार्षिक लक्ष्य / Yearly Target	प्राप्ति / Achievement	प्रतिशत / %age	वार्षिक लक्ष्य / Yearly Target	प्राप्ति / Achievement	प्रतिशत / %age	वार्षिक लक्ष्य / Yearly Target	प्राप्ति / Achievement	प्रतिशत / %age
2585	2654	102.68%	3015	3295	109.30%	3860	8355	216.46%

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

बैंक द्वारा अपनाई गई ऋण नीति के प्रमुख क्षेत्र, लघु और मझोले औद्योगिक क्षेत्र की ईकाइयां रहीं जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष-दर-वर्ष की 20% की वृद्धि दर की तुलना में, वर्ष 2009-10 के दौरान लगातार 23.67% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्राथमिकता क्षेत्र में विविध विकास तथा आरिष्ठ गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एम.एस.एम.ई तथा आधारिक ऋणों को बढ़ाया गया।



एम.एस.एम.ई अग्रिमों पर बैंक के ऋण उत्पादों तथा दिशा-निर्देशों के प्रचालन से संबंधित पुस्तिका का विमोचन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ।
Chairman & Managing Director S. G. S. VEDI Releasing a Hand Book on rules and regulations on MSMEs credit along with senior officials of the Bank

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

Micro Small & Medium Enterprises sector, a thrust area adopted by the Bank in its Credit Policy, consistently showed a remarkable increase of 23.67% during the year 2009-10 against GOI stipulation of 20% Y-O-Y growth. M S M E and Infrastructure lending has increased with special focus on the asset quality and diversified growth in Priority Sector,

अनुसूचित जाति / जनजाति उधारियों को ऋण

बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति / जनजाति को दिए गए अग्रिम वर्ष 2009-10 के दौरान बढ़कर 287.86 करोड़ रुपये हो गए।

ADVANCES TO SC/ST BORROWERS

Advances to SC/STs rose to Rs. 287.86 crore during the year 2009-10, as a consequence of special focus laid by the Bank.

अल्पसंख्यक समुदाय / महिला उद्यमियों का कल्याण

पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण दिया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान इस श्रेणी में बैंक द्वारा 15 % के राष्ट्रीय लक्ष्यों की अपेक्षा 33.75% ऋण प्रदान किए गए। महिला उद्यमियों को ऋण का प्रतिशत ए.एन.बी.सी के 5% के राष्ट्रीय लक्ष्यों की एवज में 5.11% रहा।

WELFARE OF MINORITY COMMUNITY/ WOMEN ENTREPRENEURS

Lending to Minority Communities has been made across the country and advances of the Bank under this category are 33.75% as on 2009-10 against national targets of 15% and advances to Women Entrepreneurs stood at 5.11% against national target of 5%.



अग्रणी बैंक योजना

अग्रणी जिलों में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

बैंक ने वर्ष के दौरान पंजाब के तीन जिलों में लीड बैंक होने के कारण विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बैंक द्वारा सरकारी प्रायोजित योजनाओं को सभी तीन जिलों में लागू किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के अनुसार पंजाब राज्य के लुधियाना, मोगा, फरीदकोट जिलों में स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं।

वित्तीय साक्षरता परामर्श केन्द्र (एफ.एल.सी.सी.)

एफ.एल.सी.सी. का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क वित्तीय साक्षरता शिक्षा तथा ऋण परामर्श उपलब्ध कराना है। हमारे बैंक ने पंजाब में सभी तीन अग्रणी जिलों यथा मोगा, फरीदकोट तथा लुधियाना में ये एफ.एल.सी.सी. खोले हैं।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आर.आर.बी. सतलुज ग्रामीण बैंक, भटिंडा, पंजाब के कार्यक्षेत्र में भटिंडा, फरीदकोट, मानसा, मुक्तसर, मोगा एवं लुधियाना 6 जिले हैं। यह स्थापना के बाद लाभ में है। आर.आर.बी. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने सहित विभिन्न मानकों में लगातार प्रगति की है। आर.आर.बी. का 30 शाखाओं के कुल नेटवर्क के साथ कुल सकल जमा 31.03.2009 को 165.22 करोड़ की अपेक्षा 31.03.2010 को बढ़कर 195.48 करोड़ रुपए हो गए तथा 31.03.2009 को कुल अग्रिम 95.87 करोड़ रुपए की अपेक्षा 31.03.2010 को बढ़कर 116.53 करोड़ रुपए हो गए।

ऋण निगरानी

ऋण कारोबार की स्थिति को अच्छा रखने के मद्देनजर, बैंक ने ऋणों पर निगरानी रखने के लिए विस्तृत प्रणाली एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। बैंक द्वारा ऋण आडिट, उधार खातों की त्रैमासिक समीक्षा, स्टॉक आडिट जैसे उपाय किए हैं तथा बैंक के ऋणों में वृद्धि एवं अनुप्रवर्तन पद्धति के माध्यम से सभी स्तरों पर मासिक अनुप्रवर्तन किया जाता है। नई स्लिपेज की रोकथाम के लिए बैंक ने द्रुत सावधानी प्रणाली को अंजाम दिया है। तीव्र विकास के अनुरूप बैंक ने ऋणों पर निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महा प्रबंधक की देख-रेख में अलग से ऋण निगरानी विभाग की स्थापना की है। इसके फलस्वरूप बैंक बड़ी सीमा तक ऋणों की नई स्लिपेज पर नियंत्रण करने में समर्थ हुआ है। वर्तमान बाजार परिदृश्य में जहाँ सभी बैंकों के नए स्लिपेज में बढ़ोत्तरी हो रही है, हमारा बैंक इन्हें नियंत्रित करने में समर्थ हुआ है।

नए आयाम

- निर्धनता उन्मूलन, आर्थिक विकास तेज करने तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति में वित्तीय समावेश को एक प्रभावी उपाय के रूप में प्रयोग में लाया गया है।

LEAD BANK SCHEME

Setting up of RSETIs in Lead Districts

Being a Lead Bank in the three districts of Punjab namely, Moga, Faridkot and Ludhiana, bank actively participated in financing all developmental programmes during the year. Government Sponsored Schemes are also being implemented by the Bank in all the three districts. In accordance with the initiative of Ministry of Rural Development, GOI, the Bank has established Rural Self Employment Training Institutes at Ludhiana, Moga and Faridkot Districts of State of Punjab.

Financial Literacy Counseling Centres (FLCCs)

The broad objectives of the FLCCs are to provide, "free financial literacy/education and credit counseling". The Bank has opened FLCCs at all the three lead districts of the Bank in Punjab namely, Moga, Faridkot and Ludhiana.

RRB SPONSORED BY THE BANK

RRB sponsored by our Bank named as Sutlej Gramin Bank, Bhatinda covering six districts of Punjab namely, Bhatinda, Faridkot, Mansa, Muktsar, Moga and Ludhiana, is in profit since its inception. The RRB made consistent progress in various parameters including lending to Priority Sector. Total aggregate deposits of RRB have increased to Rs.195.48 crore as on 31.3.2010 as against Rs.165.22 crore as on 31.3.2009 and total advances have increased to Rs.116.53 crore as on 31.3.2010 against Rs.95.87 crore as on 31.3.2009 with a total network of 30 branches.

CREDIT MONITORING

In order to keep the loan portfolio in good health, bank has laid down comprehensive system and procedures for monitoring of advances of the bank. The bank takes measures such as credit audit, quarterly review of borrowal accounts, stock audit and monthly monitoring at all levels through Credit Growth and Monitoring System of the bank. The bank has in place an Early Alert System to check fresh slippage of advances. To strengthen monitoring of advances to match the rapid growth, the bank has carved out separate department of Credit Monitoring under the supervision of a General Manager. As a result, the bank has been able to control fresh slippage of advances to a great extent. In the present market scenario, when fresh slippage of all the banks is on the rise, our bank has been able to control it.

NEW INITIATIVES

- Financial Inclusion is to be used as an effective tool to alleviate poverty, accelerate economic growth and achieve social justice.



- बैंक द्वारा तैयार तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक योजना भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की है, जिसमें मार्च 2011 तक ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा अथवा बिजनेस कारेसपोन्डेण्टों सहित विभिन्न आई.सी.टी. आधारित माडलों के माध्यम से 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव में बैंकिंग आऊटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करने तथा मार्च 2013 तक देश के सभी गाँवों में इसके विस्तार की भावी योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।
- कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋणों में सुधार के लिए बैंक ने उत्पादक ऋण के लिए वित्त की संशोधित राशि को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 तथा युक्तिसंगत ऋण दरें रखी हैं। बैंक ने ट्रेक्टरों के वित्तपोषण के लिए एस्कार्ट ट्रेक्टर, आयशर ट्रेक्टर, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि., इन्टरनेशनल ट्रेक्टर आदि के साथ टाई-अप भी किया है।
- दूरदराज के क्षेत्रों के लिए वित्तीय समावेश का विस्तार करने के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से 'जन श्री बीमा योजना' (जे.बी.वाई) को कार्यान्वित किया है।
- पहले से ही छोटे पैमाने पर डेयरी उद्योग में संलिप्त छोटे तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने लघु डेयरी इकाइयों के लिए एक योजना तैयार की है।

● प्रत्यक्ष कृषि वित्तपोषण को बढ़ावा देने और आलू के बीज उत्पादकों की व्यापक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे बैंक ने एक विशेष योजना तैयार की है।

● डाक्टरों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पी.एस.बी. डॉक्टर स्पेशल योजना को पुनर्संरचित किया गया।



पंजाब एण्ड सिंध बैंक, लुधियाना द्वारा ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
Punjab & Sind Bank Organised a Rural Self Employment Training Program at Ludhiana

- परिवहन क्षेत्र में हमारे वित्तपोषण में वृद्धि के लिए पंजाब राज्य में पी.आर.टी.सी./पनबस किलोमीटर योजना के अंतर्गत बसों के वित्तपोषण हेतु एक विशेष योजना प्रारम्भ की गई है।
- बैंक ने उत्तर भारत में एस.एम.ई. के अन्तर्गत उत्तरोत्तर वित्तपोषण की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माण कम्पनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।
- वर्तमान 4 एस.एम.ई. शाखाओं के अलावा 7 अन्य शाखाओं को विशिष्ट एस.एम.ई. शाखाओं में परिवर्तित किया गया है।
- कवरज के माध्यम से पात्र गतिविधियों के लिए सरकार प्रायोजित योजनाओं सहित सी.जी.टी.एम.एस.ई. के अंतर्गत एम.

- Bank has prepared and submitted to RBI road map duly approved by the Board, to provide banking services through banking outlet in every village having population of over 2000 by March 2011, through a brick and mortar branch or through any of the various ICT based models including Business Correspondents and future plan to extend it to all the villages in the country by March 2013.
- For improving advances under Agriculture Sector, Bank has revised scale of finance for production credit from Rs.30000/- to Rs.50,000/- and rationalized interest rates. Bank has also tie up with Escorts Tractors, Eicher Tractors, Mahindra & Mahindra Ltd., International Tractors, etc. for financing tractors.
- To extend Financial Inclusion to remote areas, Jana Shree Bima Yojana (JBY) was implemented by the Bank in liaison with LIC of India, for promotion of women SHGs.
- To cater to the needs of small and marginal farmers already engaged in Dairy Farming in small scale, Bank has formulated a scheme for Small Dairy units.

● With a view to promote Direct Agriculture Lending and to meet comprehensive needs of the Potato Seed growers, our Bank has formulated a special scheme.

● Doctors Special from P&SB has been redesigned to cover/meet any need based requirement of the doctors.

- To boost our lending to transport sector, a special scheme is introduced for financing buses under Kilometer Scheme of PRTC/ PUNBUS in the state of Punjab.
- The Bank has entered into a MOU with Tata Motors Ltd., India's largest commercial vehicle Co., to explore for increasing lending under SME in Northern India.
- 7 more branches have been converted to specialized SME branches in addition to existing 4 SME branches.
- Special focus is laid for providing liberal credit to MSEs under CGTMSE including Government



एस.ई. को उदार ऋण उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सिडबी की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत आने वाले 25 लाख तक के मामलों तथा माइक्रो एवं लघु उद्यमियों की ब्याज दर घटाकर क्रमशः 9.5% एवं 10% दी गई है।

- बैंक ने अपने ग्राहकों की आवश्यकतानुसार सुलभ तथा प्रतिस्पर्धा दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने की दिशा में विभिन्न नवोन्मेषी सम्पत्ति उत्पादों को युक्तिसंगत बनाया है। बैंक ने वाहनों के वित्तपोषण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ भी टाई-अप किया है।
- बैंक ने देश भर में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को जारी रखा है।
- बैंक ने गैर-निधि आधारित आय में वृद्धि के लिए बीमा तथा म्यूच्युअल उत्पाद की बिक्री के साथ-साथ ऋणों के सिण्डिकेशन के लिए एक डेस्क का गठन किया है।
- बैंक ने सोना और सोने के सिक्कों की बिक्री व्यापार के लिए स्वर्ण बुलियन ट्रेडिंग स्कीम शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी की मांग की है।

Sponsored Schemes for eligible activities through coverage. The interest rates for the cases upto Rs. 25 lacs covered under refinance scheme of SIDBI and for micro & small enterprises have also been reduced to 9.5% & 10% p.a. respectively.

- Bank continued to introduce /rationalize various innovative asset products to facilitate faster flow of credit at reasonable and competitive rates to cater to the needs of its clientele. Bank has also tied up with Maruti Udyog Ltd. to finance vehicles.
- Bank continued to implement the Govt. Sponsored Schemes in true spirit through network of its branches all over the country.
- Bank has set up a Desk for Syndication of loans besides selling of Insurance and Mutual Fund products to augment Non Fund Income.
- Bank has sought RBI approval for launching Gold Bullion Trading Scheme for trading in Gold and sale of Gold Coins.


आस्ति गुणवत्ता

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने आस्ति गुणवत्ता को सुधारने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। यद्यपि समन्वित तथा निरंतर प्रयासों तथा सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई तथा ऋण के कार्यभार से ए.आर.सी. से कुल तथा निवल एनपीए, 31.03.2009 के 161.04 करोड़ (0.65%) एवं 78.03 करोड़ (0.32%) की अपेक्षा 206.15 करोड़ रुपए (0.63%) एवं 116.63 करोड़ (0.36%) तक सीमित रहे।

वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित खातों में वसूली हेतु बैंक के अच्छे प्रयास जारी रहे। वसूली में आक्रामक एवं केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप 115.48 करोड़ रुपए की तकनीकी बंद खातों की वसूली सहित कुल 283.94 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जा सकी।

31.03.2010 के साथ-साथ पिछले वर्ष में गैर-निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति निम्नानुसार है:

ASSET QUALITY



The bank continued its efforts in improving the asset quality during the year 2009-10. Through the well coordinated & sustained efforts including action under SARFAESI ACT, 2002 and assignment of debt to ARCs, the Gross & Net NPAs have been contained to Rs.206.15 crore (0.63%) & Rs.116.63 crore (0.36%) as against the level of Rs.161.04 crore (0.65%) and Rs.78.03

crore (0.32%) as on 31.03.2009 respectively.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year continued to be good. The aggressive & focused efforts in Recovery could result in the total recovery of over Rs.283.94 crore including recovery of Rs.115.48 crore in Technically Written off accounts.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2010 vis-à-vis previous year is as under:

(राशि करोड़ों में / Amt. in crore)

एनपीए / NPA	As on 31.03.2009		As on 31.03.2010	
सकल / Gross	161.04	0.65%	206.15	0.63%
शुद्ध / Net	78.03	0.32%	116.63	0.36%



भारतीय रिजर्व बैंक ने 29.10.2009 को अपनी मौद्रिक-नीति में यह निर्देशित किया है कि सितम्बर, 2010 तक प्रोवाइजनिंग कवरेज रेशो (दो खातों सहित) के 70% के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जाए। दिनांक 31.03.2010 को बैंक का प्रोविजनिंग कवरेज रेशो 89.62% रही।

निवेश प्रबंधन तथा विदेशी विनिमय

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक का कुल निवेश निगमित आवश्यकताओं, जोखिम अवधारणा तथा बैंक की विदेश नीति के कारोबार घटक के अनुरूप 42 प्रतिशत बढ़कर 17986.66 करोड़ रुपए हो गया।

प्रतिभूतियों की बिक्री का लाभ गत वर्ष 2009-10 के 118.90 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 101.53 करोड़ रुपये रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मन्दी के बावजूद बैंक के विदेशी मर्चेन्ट टर्नओवर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, विनिमयगत कम रहा है और यह आई.एन.आर. अर्थात् वर्ष-दर वर्ष अन्य विदेशी मुद्राओं में वृद्धि के अनुरूप विदेशी मुद्रा से आय में वृद्धि हुई है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है, जिसके अंतर्गत प्रभावी उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है। निम्न तीन शीर्षस्थ समितियों के माध्यम से जोखिम का प्रबंध किया गया है:-

1. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति
2. आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति
3. प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति

ये समितियाँ जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.)/मंडल द्वारा अनुमोदित सम्यक् मार्गदर्शी निर्देशों तथा नीतियों के दायरे में अपना काम करती है।

नीति-तंत्र

बैंक ने जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं। जोखिम कारोबार के विश्लेषण तथा बैंक के सभी जोखिमों को समन्वित करने के लक्ष्य से बैंक ने एक समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में परिसम्पत्ति एवं देयता प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, व्यवसाय बारंबारता नीति तथा आऊटसोर्सिंग नीति शामिल है। आर.एम.सी./मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा की जाती है।

आई.सी.ए.पी. नीति

विनियामक पिल्लर-I तथा पिल्लर-II अपेक्षाओं के अलावा आकार, जटिलता के स्तर जोखिम कारोबार तथा बैंक के कार्य संचालन की सम्भावना के अनुरूप पूंजीगत आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु

RBI in its quarterly Monetary Policy on 29.10.2009 had directed that an endeavor be made to achieve Provisioning Coverage Ratio (including TWO accounts) of 70% by September, 2010. The Provisioning Coverage Ratio of the Bank as on 31.03.2010 stood at 89.62%.

INVESTMENT MANAGEMENT & FOREIGN EXCHANGE

The Bank's total Investment increased by 42% during current financial year to Rs.17986.66 crore, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception, and investment policy of the Bank.

The profit on sale of securities for the year 2009-10 was Rs.101.53 crore as against Rs.118.90 crore for the previous year, despite rising yield of Government Bonds.

There has been an increase of Foreign Merchant Turnover by 11% despite global economic slowdown. However, the exchange profit was lower and is in alignment with the appreciation of INR viz other foreign currencies on year to year basis. Earning in foreign currency has however increased in line with the increase in merchant turnover.

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust Risk Management architecture, whereby an independent Risk Management department is functioning for effective risk management enterprise wide. Risk is managed through following three Apex committees viz.

- (i) Credit Risk Management Committee (CRMC)
- (ii) Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) and
- (iii) Operational Risk Management Committee (ORMC)

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee (RMC) / Board.

POLICY FRAMEWORK

The Bank has put in place various policies to manage the risk. To analyze the risk profile and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management Policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Asset and Liability Management Policy, Operational Risk Management Policy, Investment Policy, Business Continuity Plan and Outsourcing Policy. The policies are reviewed annually by the RMC / Board.

ICAAP POLICY

In addition to regulatory Pillar-I and Pillar-II requirements, the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital



आंतरिक पूंजी पर्याप्तता प्रक्रिया (आई.सी.ए.ए.पी.) नीति तैयार की गई है। लोच को वहन करने तथा बैंक की पूंजी पर इसके परवर्ती प्रभाव जैसी भार अवस्थाओं के संदर्भ में इनका मूल्यांकन करने के लिए भी परीक्षण अध्ययन किए जाते हैं। निदेशक मंडल द्वारा सी.आर.ए.आर. की स्थिति की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बेसल-II

भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार बैंक ने नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अंगीकार किया है। बैंक 31.03.2009 की प्रभावी तिथि से बेसल-II का अनुपालन कर रहा है और मानकीकृत दृष्टिकोण पर ऋण जोखिम आधारित पूंजी प्रभार, परिवर्तित अवधि दृष्टिकोण आधारित बाजार जोखिम तथा बेसल सूच्य दृष्टिकोण आधारित संचालन जोखिम की संगणना की जाती है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के यथानिर्देशानुसार बेसल-II के अंतर्गत निर्धारित सीमा के पालन की दिशा में अग्रसर है।

प्रकटीकरण

बेसल-II पिल्लर-3 बाजार स्थिति विषयक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी-निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित अभिप्रकटीकरण नीति लागू की है और इस नीति के अनुसार तिमाही, छःमाही, वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट / वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) द्वारा ऋण जोखिम तथा नीति निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इस समिति द्वारा उद्योग, कार्पोरेट, रिटेल तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क जिसमें ऋण रेटिंग जोखिम मॉडल, कारपोरेट तथा रिटेल ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग के लिए, उद्योगो/पोर्टफोलियों का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रवासों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बैंक 2007 से ही रेटिंग के उत्प्रवास तथा पी.डी. की गणना (अदायगी का भुगतान न होने की सम्भावना) व्यतिक्रम दर का अध्ययन कर रहा है। कुछ समयवधि में आंकड़ों की संरचना से बैंक बेसल-II के अंतर्गत अग्रिम दृष्टिकोण को यथासमय सुगमता से लागू कर पाएगा।

बाजार जोखिम

परिसम्पत्ति देयता समिति (आलको) बाजार जोखिमों के प्रबंधन पर निगरानी रखती है। यह परिसम्पत्ति एवं देयता स्थिति तथा बैंक के ब्याज-दर ढांचे पर नियमित रूप से निगरानी रखती है और बाजार की स्थिति के अनुरूप ब्याज ढांचे को नियंत्रित करती है। यह स्वतंत्र मिड-ऑफिस के माध्यम से विदेशी विनिमय तथा कोष ऋणों की निगरानी एवं युक्तिसंगत सीमांकन का अनुरक्षण करती है। वर्तमान में बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार का निर्धारण, संशोधित अवधि द्वारा बाजार दर से जुड़े प्रलेखों की मूल्य संवेदनशीलता द्वारा तय किया जाता है।

requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Stress Testing exercises are also undertaken to assess the likely impact of various stress situations in relation to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis.

BASEL-II

In terms of regulatory guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework. The Bank is BASEL-II compliant w.e.f. 31.03.2009 and is computing capital charge on Credit Risk based on Standardized approach, Market Risk based on Modified Duration approach, and Operation Risk based on Basic Indicator approach. Bank has geared up to maintain time schedule for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI.

DISCLOSURE

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II Pillar 3 Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis as per the policy are made in the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK

Credit risk and policy formulation are managed by our Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate and Retail Loans, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio, migration of credit ratings is being undertaken. The Bank is already conducting study of Migration of Rating, and Calculation of PD (Probability of Default)/Default Rate, since 2007. With the buildup of historical data over a period of time, the Bank shall smoothly migrate to Advance Approach for credit risk under Basel-II, in due course.

MARKET RISK

The Asset Liability Committee (ALCO) oversees the management of market risks. It regularly reviews assets and liability position and interest rates structure of the bank, which is aligned according to the market conditions and the internal requirements and forecasts of the Bank. It also monitors Forex and Treasury exposures and maintenance of Prudential Limits through an independent Mid-office. Presently capital charge on market risk is calculated after applying Modified duration to arrive at the price sensitivity of interest rate related instruments.



परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत्/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में संचालक जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूलभूत सूचकांक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक लास डाटा संग्रह करने की प्रक्रिया में लगा है। बैंक आय की संगणना भी निर्धारित आठ व्यवसायिक पंक्तियों में की जाती है जो कि मानक दृष्टिकोण (टी.एस.ए.) की ओर बढ़ने का आधार निरूपित करेगा।

संगठन एवं सहायक सेवाएँ

31 मार्च 2010 के दिन देश के 24 राज्यों तथा 2 संघशासित क्षेत्रों में 918 शाखाएँ तथा 11 करेंसी चेस्ट फ़ैले हुए हैं। वर्ष के दौरान 6 नई शाखाएँ खोली गई हैं। और 7 सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशिष्ट एस.एम.ई शाखा में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार लघु उद्योग शाखा/एस.एम.ई शाखाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई।

इसके इलावा केन्द्र/सिविल पेंशनरों को पेंशन वितरण के लिए एक केन्द्रीय पेंशन संसाधन

केन्द्र (सी.पी.पी.सी) की स्थापना की गई है। सीपीपीसी संबंधी साफ्टवेयर पहले ही सरकारी विभागों को सुपुर्द किया जा चुका है तथा सीपीपीसी के संचालन हेतु इनकी अनुमति की प्रतीक्षा है।

ए.टी.एम

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने ग्राहकों को हर समय बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए चयनित शाखाओं में 59 ऑन लाइन ए.टी.एम. लगाने के साथ-साथ गैर ए.टी.एम. शाखा के ग्राहकों को ए.टी.एम. सुविधा की परिधि के अंतर्गत लाया गया। बैंक ने एन.एफ.एस. से जुड़ने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है जो हमारे बैंक के ए.टी.एम. कार्डधारकों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण मानव संसाधन विभाग का एक अभिन्न अंग है। बैंक अपने कर्मचारियों की अद्यतन जानकारी और औद्योगिक प्रयासों से सुविज्ञ रखने हेतु इनके उन्नयन पर जोर देता रहा है तथा बैंक अपने सभी कर्मचारियों की व्यवसायिक निपुणता के संवर्द्धन हेतु वचनबद्ध है। इस दिशा में, बैंक प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण जरूरतों का मूल्यांकन किया जाता है तथा सभी स्तर पर कर्मिकों को आवश्यक उपादान उपलब्ध कराए जाते हैं।

OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees on matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of collecting Loss Data. Bank's income is also mapped into the prescribed eight Business Lines which shall form the basis for migration to The Standardized Approach (TSA).

ORGANISATION & SUPPORT SERVICES



कार्यकारी निदेशक महोदय श्री प्रवीण कुमार आनंद शाखा मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली की नई शाखा का उद्घाटन कर रहे हैं।
Sh. Praveen Kr. Anand, Executive Director of the Bank inaugurating Bank's Branch at Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi.

As on 31st March 2010, the Bank had 918 branches and 11 currency chests spread over 24 states and 2 Union Territories. During the year 6 new branches were opened & 7 General Banking branches were converted into Specialized SME branches thus raising the number of SSI / SME branches to 11.

Further, a Central Pension Processing Centre (CPPC) has been established for

disbursement of pension to central / civil pensioners. Presentation of software on CPPC has already been given to the Government Departments and their permission is awaited for operation of CPPC.

ATMs

During the year, the bank has installed 59 on-line ATMs at identified branches to provide any-time banking facilities to customers and also Non-ATM branch customers have been brought under the ambit of ATM facility. The bank has initiated the process to join the NFS which will be a giant leap for ATM card users of our bank.

TRAINING & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Training is an integral part of human resource development. Bank has been laying emphasis on upgrading skills of its employees and keeping them abreast of latest developments and industry practices. The Bank is committed to enhancing the professional expertise of all its employees. Towards this end, it relies on training interventions, whereby training needs are assessed and necessary inputs provided to personnel at all levels.



वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक द्वारा सामान्य बैंकिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में अपने प्रशिक्षण केन्द्रों अर्थात् पी.एस.बी. अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र, चण्डीगढ़ में 153 कार्यक्रम संचालित किए गए तथा निबस्काम नोएडा में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रम संचालित किए गए, जिसमें सभी संगों के 2327 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, बैंक ने एन.आई.बी.एम. पूणे, एन. आई. आई. टी. एफ. बी. आई, एन. डी. आर. बी. टी. हैदराबाद, आई.बी.ए. तथा सी.बी.आई. अकादमी आदि जैसे शीर्ष स्तर के संस्थानों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 73 अधिकारियों को नामित किया गया।

बैंक ने अपने वरिष्ठ कार्यपालकों को बैंकिंग उद्योग में बदलते परिदृश्य के बारे में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से एम.डी.आई. गुडगाँव के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की भी प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

दिनांक 31.03.2010 के दिन बैंक की कुल स्टाफ संख्या 8259 थी, जिसमें 5551 अधिकारी, 1425 लिपिक तथा 1283 अधीनस्थ स्टाफ है। स्टाफ का प्रोत्साहन स्तर बनाए रखने के मद्देनजर वर्ष के दौरान वेतनमान VII, VI, V, IV में क्रमशः 5, 15, 44 और 48 अधिकारियों की पदोन्नति की गई। अन्य संगों में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है, जिसके अप्रैल 2010 में पूरा होने की सम्भावना है। बैंक ने अधिकारियों के 500 पदों, विशिष्ट अधिकारियों के 65 पदों तथा लिपिकों के 250 पदों को सीधे भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है।

सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार एक महाप्रबंधक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

बैंक में औद्योगिक सम्बन्ध वर्ष-पर्यंत सोहार्दपूर्ण रहे। कामगार और अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न स्तरों पर बैंक-प्रबंधन के साथ विकास एवं अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श में भाग लिया।

सूचना प्रौद्योगिकी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने अपनी आई. टी. नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक प्रौद्योगिकी विज्ञान के अनुरूप विभिन्न परियोजनायें अर्थात् सी.बी.एस. नेटवर्क विस्तार, ए.टी.एम. स्थापना तथा सी.टी.एस. प्रारम्भ कर दी है।

बैंक ने 500 शाखाओं में सी.बी.एस. के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड के साथ एक करार किया है।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय स. जी. एस. वेदी तथा विप्रो लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री आनन्द शंकरन ने कोर बैंकिंग सोल्यूशंस करार पर हस्ताक्षर किए।
Chairman & Managing Director S. G. S. VEDI & Mr. Anand Sankaran,
Vice-President of WIPRO Ltd. signed Core Banking Solution agreement

During the year 2009-10, 153 programs in General Banking & IT related areas were conducted by the bank at its training college viz. PSB Centre for Banking Research & Training, Chandigarh and programmes were conducted in different area of knowledge at NIBSCOM, Noida, in which training was imparted to 2327 employees of all cadres. Besides, 73 officials were also deputed for specialized training programmes at apex level institutes viz. NIBM Pune, NIITFBI, NDRBT Hyderabad, IBA & Academy of CBI etc..

The Bank has also initiated process for organizing various programmes in association with MDI Gurgaon for its Senior Executives to get them sensitized about the changing environment in the Banking Industry.

The total staff of the Bank as on 31.03.2010 stood at 8259 comprising of 5551 officers, 1425 clerks and 1283 sub-staff. In order to keep up the motivational level of staff, promotions have been made to scale VII, VI, V & IV during the year under which 5,15,44 & 48 officers have been promoted respectively. Promotion process in other cadres has also been initiated which is likely to be completed in April 2010. Bank has also initiated process for filling 500 posts of Officers, 65 posts of Specialized Officers & 250 posts of Clerks through direct recruitment.

In terms of Govt. Reservation Policy, a General Manager has been designated as a Chief Liaison Officer for SC/ST employees.

The industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels.

INFORMATION TECHNOLOGY

During the review period, the Bank initiated various projects viz. CBS, Network expansion, ATM deployment & CTS in line with Bank's IT Policy and RBI's Technology Vision.

The Bank has entered into a contract with M/s Wipro Ltd. for implementation of CBS in 500 branches.



345 शाखाओं में आर.टी.जी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध करा दी हैं तथा 59 ऑन लाईन/ऑन साईट ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं, जो सम्पूर्ण भारत के 16 प्रमुख शहरों में बैंक के ग्राहकों की सेवा में कार्यरत हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की सी.टी.एस. परियोजना को पूर्णतः कार्यन्वित किया गया है और यह हमारे बैंक की एन.सी.आर. दिल्ली की शाखाओं में लाईव कार्यरत है। वर्तमान में एन.सी.आर. में बैंक का 100% समाशोधन कार्य सी.टी.एस. प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न होता है।

आंतरिक नियंत्रण

सभी पात्र शाखाओं का योजना के अनुसार नियमित निरीक्षण, कंकरेंट ऑडिट जोखिम आधारित आन्तरिक लेखा परीक्षण, राजस्व लेखा-परीक्षण किया गया। बैंक की सभी शाखाओं के राजस्व लेखापरीक्षण किए गए। बैंक ने व्यावसायिक प्रक्रिया के अनुरूप सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा के लिए एक कार्यप्रणाली को कार्यान्वित किया है। सूचना लेखा परीक्षा सीसा/डीसा शिक्षित आंतरिक एवं बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा संचालित की जा रही है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और अन्य महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शाखाओं की रेटिंग, भा.रि.बैंक/आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन तथा नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खातों के समायोजन आदि की समीक्षा आवधिक रूप से बोर्ड की ऑडिट कमेटी द्वारा की जाती है।

अनुपालन कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार अनुपालन कार्य के पर्यवेक्षण तथा अनुपालन जोखिम के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से बैंक में अनुपालन कक्ष की स्थापना की गई है। इस वर्ष के दौरान अनुपालन कक्ष को पूर्णस्तरीय अनुपालन विभाग के रूप में उन्नयन किया गया है। महाप्रबंधक के पद के अधिकारी को मुख्य-अनुपालन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। निगमित प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रत्येक विभाग तथा आंचलिक कार्यालय में अनुपालन मैनुअल तैयार किया गया है। बैंक का यह प्रयास रहेगा कि सभी नियामक/सांविधिक दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पी.एस. बी. को एक शीर्ष अनुपालक बैंक बनाया जाए।

सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, अनुशासनात्मक मामलों के समयबद्ध ढंग से निपटान के लिए अनुशासनात्मक मामलों के निपटान की प्रगति की समीक्षा की गई। अनुशासनात्मक प्राधिकारियों, जांच प्राधिकारियों के साथ-साथ प्रस्तुत कर्ता अधिकारियों का उपयुक्त रूप से मार्गदर्शन किया गया और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के पक्षपात रहित तथा उचित, संचालन सुनिश्चित



पंजाब एंड सिंध बैंक के उच्चाधिकारी सतर्कता जागरूकता सप्ताह में शपथ लेते हुए।
The Senior officials of Punjab & Sind Bank solemnly pledge on vigilance awareness week.

Electronic Funds Transfer facility through RTGS & NEFT has been made available in 345 branches and bank has installed 59 online / onsite ATMs which are serving the bank's customers in 16 major cities spread all over India.

The CTS Project of RBI is fully implemented and is running live in NCR Delhi branches of our Bank. At present 100% of the clearing volume of the Bank in NCR is received through CTS system.

INTERNAL CONTROL

The regular Inspections, Concurrent Audit, Risk Based Internal Audit, Credit Audit, Revenue Audit of all the eligible branches were conducted as per plan. The revenue audit of all the branches was got done. The bank has implemented a framework for Information System (IS) Audit that is in tune with the business process. Information audit is being conducted by CISA / DISA qualified internal as well external auditors.

The Audit Committee of the Board periodically reviewed the adequacy of the internal control system and other important aspects such as rating of branches, compliance of RBI/internal inspection reports and Reconciliation of Nostro/Vostro Accounts etc.

COMPLIANCE FUNCTIONS

In accordance with RBI guidelines, a Compliance Cell was set up to supervise the compliance functions and to sensitize major areas of compliance risk. During this year, Compliance Cell has been upgraded to full fledged Compliance Department. An officer of the rank of General Manager has been entrusted the responsibility of Chief Compliance Officer. Compliance Manual of each Head Office Department and Zonal Office has been put in place to improve upon the Corporate Governance. It has been an endeavor of the Bank to ensure adherence of all regulatory / statutory guidelines and to make P&SB as one of the Top Compliant Banks.

VIGILANCE

During the financial year 2009-10, the progress in disposal of disciplinary cases was reviewed regularly with the thrust on disposal of disciplinary cases in a time bound manner. Disciplinary Authorities, Inquiring Authorities as well as Presenting Officers were suitably guided & emphasis was laid on adherence to



करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यथानिर्धारित समय-सीमा के अनुपालन हेतु जोर दिया गया।

वर्ष के दौरान 41 सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों को निपटाया गया तथा 113.17 लाख रुपए के 33 धोखा धड़ी मामलों को बंद किया गया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में दी गई छूट के पात्र 96.30 लाख रुपए के 25 मामले भी शामिल हैं।

निवारक सतर्कता के एक उपाय के रूप में, आंचलिक कार्यालयों में तैनात सतर्कता अधिकारियों द्वारा शाखाओं का दौरा किया जाता है तथा जोखिम अवधारणाओं के आधार पर कुछ संवेदनशील शाखाओं का चयन किया गया है, जहाँ तिमाही/ छिमाही आधार पर दौरा किया जाता है।

सुरक्षा व्यवस्था

बैंक की अपनी एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। आंचलिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। जिनकी निगरानी प्रधान कार्यालय द्वारा बड़ी गम्भीरता से की जाती है। फलस्वरूप बैंक में सुरक्षा प्रबंधों में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ है। सभी शाखाओं को एक बंदूकधारी गार्ड तथा इलैक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

फील्ड अधिकारियों को आंचलिक कार्यालय स्तर पर व्यापक व्यावसायिक कार्य संचालन एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए उपादान (आई.बी.ए. मार्गदर्शी निर्देश) प्रदान किए गए हैं। आंचलिक सुरक्षा अधिकारी शाखाओं के निरीक्षण के दौरान शाखा प्रबंधकों द्वारा अपनाये गए उपायों की जाँच करते हैं।

26 गैर चेस्ट शाखाओं (दिल्ली की 22 शाखाओं और हरियाणा अंचल की 4 शाखाओं), 31 उच्च जोखिम शाखाओं में सीसीटीवी सिस्टम लगाए गए हैं और 136 शाखाओं में सीसीटीवी सिस्टम लगाने की प्रक्रिया जारी है।

राजभाषा कार्यान्वयन

बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान राजभाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 की सभी सांविधिक अनिवार्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। बैंक ने वर्ष के दौरान 53 हिंदी कार्यशालाओं तथा 8 पंजाबी कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनमें कुल 1037 कर्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 620 हिंदी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2983 कर्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

बैंक में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा हेतु कुल 710 शाखाओं/विस्तार पटलों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

time schedule as stipulated by CVC while ensuring free & fair conduct of disciplinary proceedings.

During the year, 41 vigilance disciplinary cases were disposed off and 33 fraud cases for Rs.113.17 lacs were closed which included 25 cases for Rs.96.30 lacs found eligible as per the recent relaxations given by the RBI.

As a measure of preventive vigilance, the branches of the bank are being visited by Vigilance Officers posted at Zonal Offices and some sensitive branches have been identified on the basis of risk perceptions, which are being visited on quarterly / half yearly basis.

SECURITY ARRANGEMENT

The Bank has in place a well laid security management system. Regular security inspections are carried out by Zonal Security Officers and are closely monitored by Head Office. As consequence, there is an overall improvement in the security arrangements in the Bank. All branches are provided with an armed guard and electronic security gadgets.

The field functionaries have been provided inputs (IBA guidelines) for drawing up a comprehensive Business Continuity & Disaster Recovery Plan at Zonal Office level. The Zonal Security Officers deliberated upon the measures adopted by Branch Managers during inspection of branches.

CCTV systems in 26 Non Chest branches (22 branches of Delhi and 4 branches of ZO Haryana zone), 31 High Risk branches have been installed and installation of CCTV systems in 136 branches is in process.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE



उप महाप्रबंधक श्री एस. के. शर्मा तथा वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. चरनजीत सिंह, हिंदी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु 'राजभाषा शील्ड' प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए।
Dy. Gen. Manager, Sh. S. K. Sharma & Dr. Charanjeet Singh receiving the 2nd prize 'Rajbhasa Shield' for best work performance in implementing the official language policy of the Bank

For promoting and propagating the use of Official Language during the year 2009-10, the Bank ensured implementation of all the statutory requirements of O.L. Act 1963. During the year, 53 Hindi and 8 Punjabi workshops were organized in which a total of 1037 employees were trained. Also 2983 employees were trained through 620 Hindi Desk Training

Programmes. A total of 710 branches / Extension Counters / Offices were inspected to review the progressive use of Official Language Policy in the Bank.



इस वर्ष, बैंक नगर कार्यान्वयन समिति, दिल्ली द्वारा बैंक ने राजभाषा नीति के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन एवं सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। बैंक की आंतरिक हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" को सर्वोत्तम पुरस्कार के लिए दिल्ली बैंक नगराकास की ओर से तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

बैंक की चिकपेट बैंगलूरु शाखा को वर्ष 2008-09 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय तथा सभी आंचलिक कार्यालयों के स्तर पर हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

निदेशक मंडल की संरचना

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं हस्तांतरण उपक्रम) अधिनियम 1980 तथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है और जिसका प्रतिनिधित्व विविध प्रकार के अनुभवी व्यावसायिकों द्वारा किया जाता है।

वर्ष (2009-10) के अंत में बोर्ड में दो पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक के अतिरिक्त सात अन्य निदेशक थे, जिसमें वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार द्वारा नामित चार अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक शामिल थे।

बैंक के कार्यों पर नियंत्रण एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु बोर्ड द्वारा बनाई गई निम्न समितियां कार्यरत हैं:

- प्रबंधन समिति
- ऑडिट समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
- सतर्कता समिति
- ग्राहक-सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- अपील समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति
- शेयर धारक शिकायत / निवेशक समिति

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्न परिवर्तन किए गए:-

दिनांक 28.07.2009 को श्री आर. गांधी के स्थान पर श्री संदीप घोष को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री आर.पी. सिंह दिनांक 26.08.2009 की प्रभावी तिथि से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

During the year, Bank Town Implementation Committee, Delhi honoured the Bank's Head Office with Second prize for best work performance in implementing the Official Language Policy in the Bank. The Bank's in-house Hindi magazine Rajbhasha Ankur was awarded third prize for the best publication by the Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee.

Chickpet, Bangluru branch of the Bank is honoured with First prize for best implementation of Rajbhasha for the year 2008-09 by the Bank Implementation Committee, Bangluru.

During the year, various competitions were organized and the winners were honoured in Hindi Fortnight programme organized at Head Office as well as Zonal Office level.

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 read with the Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and is represented by persons with diversified professional experience.

At the end of the year (2009-10), the Board comprised of two whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and Executive Director besides seven other Directors including representatives of Ministry of Finance, Reserve Bank of India, and four Part Time Non-Official Directors appointed by the Government of India.

Following committees were constituted by the Board to oversee the important functional areas and control the affairs of the Bank.

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Committee to Monitor Large Value Frauds
- Vigilance Committee
- Customer Service Committee
- Remuneration Committee
- Appellate Committee
- IT Committee
- Share holders Grievance / Investors Committee

The constitution of the Bank's Board underwent the following changes during the year ended 31st March 2010:

Shri Sandip Ghose was appointed as an Additional Director on 28.07.2009 in place of Shri R.Gandhi.

Shri R.P.Singh ceased to be the Chairman & Managing Director w.e.f 26.08.2009.



श्री जी.एस. वेदी को दिनांक 26.08.2009 को कार्यकारी निदेशक के पद से उनके उन्मूलन पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री पी.के. आनंद को दिनांक 07.12.2009 को भारत सरकार द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री के.के. शर्मा और श्रीमती कमल मान अपने कार्यकाल को पूरा करने पर दिनांक 01.01.2010 की प्रभावी तिथि से निदेशक नहीं रहे।

श्री अवतार सिंह मान, अधिकारी कार्मिक निदेशक और श्री मोहन सिंह सेखों, कर्मकार कर्मचारी निदेशक भारत सरकार की अधिसूचना से बैंक के निदेशक मंडल में नहीं रहे।

निदेशक मण्डल अपने सभी नए निदेशकों का स्वागत करता है और श्री आर.पी.सिंह, श्री के.के.शर्मा, श्रीमती कमल मान, श्री अवतार सिंह मान एवं श्री मोहन सिंह सेखों द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता है।

वर्ष 2009-2010 के दौरान, निदेशक मंडल की सात बैठकें, प्रबंधन समिति की ग्यारह बैठकें और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की सात बैठकें आयोजित की गईं।

सांविधिक लेखा-परीक्षा

बैंक द्वारा मैसर्स एस लाल एण्ड कम्पनी, पानीपत; मैसर्स बलराम चंद्र एण्ड एसोसिएट्स, इलाहाबाद; मैसर्स बंसल सिन्हा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली; मैसर्स भाटिया एण्ड भाटिया, नई दिल्ली और मैसर्स अलका एण्ड सुनील, नई दिल्ली को मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

अभिस्वीकृतियां

निदेशक मंडल भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष भर के दौरान दी गई निरंतर सहायता, सक्रिय तथा समय पर समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल अपने बहुमूल्य ग्राहकों का भी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने बैंक को निरंतर संरक्षण प्रदान किया और बैंक में अपना विश्वास दर्शाया।

निदेशक मंडल बैंक के विकास/संवर्द्धन के लिए सभी संवर्गों के स्टाफ द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा तथा सराहना व्यक्त करता है और आशा है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् समर्थन एवं सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह०/—

(जी. एस. वेदी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri G.S.Vedi was appointed as Chairman & Managing Director of the Bank on 26.08.2009 on his alleviation from the post of Executive Director.

Shri P.K. Anand was appointed by the Govt. of India as Executive Director of the Bank on 07.12.2009.

Shri K.K.Sharma and Mrs. Kamal Mann ceased to be the directors w.e.f. 01.01.2010 on completing their terms.

Shri Avtar Singh Mann, Officers' Employee Director and Shri Mohan Singh Sekhon, Workmen Employee Director ceased to be the Directors on the Board of the Bank vide Government of India Notification.

The Board welcomes all the new directors and wishes to place on record the valuable services rendered by Shri R.P. Singh, Shri K.K. Sharma, Mrs Kamal Mann, Shri Avtar Singh Mann and Shri Mohan Singh Sekhon.

During 2009-2010, seven meetings of the Board of Directors, eleven meetings of the Management Committee and seven meetings of the Audit Committee of the Board were held.

STATUTORY AUDIT

Bank has appointed M/s S. Lall & Co. Panipat; M/s Balram Chandra & Associates, Allahabad; M/s Bansal Sinha & Co, New Delhi; M/s Bhatia & Bhatia, New Delhi and M/s Alka & Sunil, New Delhi as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2010.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors are grateful to the Government of India and Reserve Bank of India for their continued assistance, active & timely support and guidance rendered throughout the year. The Directors also express sincere thanks to the Bank's clientele for their continued patronage and confidence reposed on the Bank.

The Board appreciates and commends the contributions made by the staff of all cadres for their active involvement for the development / growth of the Bank and look forward to their continued support and co-operation for realizing of the corporate goals in the years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(G. S. Vedi)

Chairman & Managing Director



तुलन-पत्र
एवं
लाभ-हानि लेखा

Balance Sheet
&
Profit & Loss Account

2009-2010



31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2010

	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.
पूंजी तथा देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	3830560	3830560
आरक्षित निधि एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	22325483	17572855
जमाराशियां / Deposits	3	491550856	346756547
उधार / Borrowings	4	37010514	36064760
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / Other liabilities & Provisions	5	11931375	9413147
जोड़: / TOTAL		566648788	413637869
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	37882625	19570665
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with banks & money at call and short notice	7	9670641	8833722
निवेश / Investments	8	178868385	126274290
अग्रिम / Advances	9	326391078	246153482
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	10	5389069	5557630
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	8446990	7248080
जोड़: / TOTAL		566648788	413637869
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	58067255	52095937
वसूली के लिए बिल / Bills for Collection		7324394	9821024
उल्लेखनीय लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं / Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

जी.एस. वेदी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ए. भट्टाचार्य
एम. बी. एस. प्रसाद

एच. एस. मक्कड़
जी. एस. बिंद्रा

नई दिल्ली
दिनांक : 23.04.2010

निदेशक

आर. सदानंदम
कृष्ण मुरारी गंगावत
मुख्य महाप्रबंधक
जी. एस. रेखी
महाप्रबंधक

एच. एस. लाम्बा
के. एस. सचदेवा

पी.के. आनन्द
कार्यकारी निदेशक

संदीप घोष
हरी चंद बहादुर सिंह

पी. एस. घावरी
गुरचरन सिंह

जी. एस. अरोड़ा
उप महाप्रबंधक

जे. एस. कोचर
मंजीत सिंह

अमृत पाल सिंह तेजी
सहायक महाप्रबंधक

समतिधि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार:

कृते एस.लाल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(रजत अग्रवाल)
साझेदार

एम नं. 87130
कृते बलराम चन्द्रा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(बलराम चन्द्रा)
एम नं. 070875

कृते अलका एण्ड सुनील
सनदी लेखाकार
(सुनील गुप्ता)
एम नं.084119

कृते बंसल सिन्हा एण्ड क.
सनदी लेखाकार
(निशांत चौधरी)
साझेदार

एम नं. 513802
कृते भाटिया एण्ड भाटिया
सनदी लेखाकार
(आर भाटिया)
एम नं. 17572



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2010 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2009 रु./Rs.
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	39341762	32471657
अन्य आय / Other income	14	4118072	4076950
जोड़ / TOTAL		43459834	36548607
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	27502339	22353085
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	7181844	6978385
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions and contingencies		3687634	2905356
जोड़ / TOTAL		38371817	32236826
III. लाभ / हानि / PROFIT/LOSS			
वर्ष के शुद्ध लाभ / हानि (-) / Net Profit/ Loss (-) for the year		5088017	4311781
अग्रानीत लाभ / हानि (-) / Profit/ Loss(-) brought forward		5970866	3999352
आहरण: / Withdrawal from:			
सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		332	176
जोड़ / TOTAL		11059215	8311309
IV. विनियोग को अंतरण / APPROPRIATIONS TRANSFER TO:			
सांविधिक आरक्षित निधियां / Statutory Reserve		1500000	1100000
पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) / Capital Reserve [Investment]		502581	1167864
विशेष आरक्षित निधियां धारा 36 (i)(viii) के अंतर्गत / Special Reserve u/s 36 (i)(viii)		119071	72579
पीएनसीपीएस पर लाभांश / Dividend on PNCPS		127397	0
लाभांश वितरण कर / Dividend Distribution Tax		21651	0
शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया / Balance carried over to Balance Sheet		8788515	5970866
जोड़ / TOTAL		11059215	8311309
उल्लेखनीय लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं / Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

G. S Vedi
Chairman & Managing Director

P. K. Anand
Executive Director

Directors
A. Bhattacharya R. Sadanandam Sandip Ghose A. K. Surana
M. V. S. Prasad Krishna Murari Gangawat Hari Chand Bahadur Singh

Chief General Manager
G. S. Rekhi

General Managers
H. S. Makker H. S. Lamba P. S. Ghawri J. S. Kochar
G. S. Bindra K. S. Suchdeva Gurcharan Singh Manjit Singh

G. S. Arora A. P. S. Teji
Dy. Gen. Manager Asstt. Gen. Manager

New Delhi
Date : 23.04.2010

As per our Report of Even Date

FOR S. LALL & CO.
Chartered Accountants
(RAJAT AGGARWAL)
PARTNER
M.No. 87130

FOR BANSAL SINHA & CO.
Chartered Accountants
(NISHANT CHAUDHARY)
PARTNER
M.No. 513802

FOR BALRAM CHANDRA & ASSOCIATES.
Chartered Accountants
(BALRAM CHANDRA)
PARTNER
M.No. 070875

FOR BHATIA & BHATIA
Chartered Accountants
(R. BHATIA)
M.No. 17572

FOR ALKA & SUNIL
Chartered Accountants
(SUNIL GUPTA)
M.No. 084119



	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.
अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1-CAPITAL		
I. पूंजी (केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व में) / Equity share Capital (fully owned by Central Government)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार / As per last Balance Sheet	1830560	7430560
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Restructured during the year	0	-5600000
उप-योग / Sub-Total I	1830560	1830560
II. अधिमान शेयर पूंजी / Preference share Capital (बेमियादी गैर संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) / (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार / As per last Balance Sheet	2000000	0
वर्ष के दौरान पुनः निर्मित / Restructured during the year	0	2000000
उप-योग / Sub-Total II	2000000	2000000
जोड़ / TOTAL I+II	3830560	3830560
अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves		
अधिशेष / Opening Balance	3459406	2359406
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	1500000	1100000
उप-योग / Sub-Total I	4959406	3459406
II. सामान्य आरक्षित निधि / General Reserves		
अधिशेष / Opening Balance	1078939	1079115
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	-332	-176
उप-योग / Sub-Total II	1078607	1078939
III. पूंजी आरक्षित निधि - स्थायी आस्तियां / Capital Reserves - Fixed Assets		
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve:		
अधिशेष / Opening Balance	5048725	5290224
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	-186341	-241499
उप-योग / Sub-Total III	4862384	5048725
IV. पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) / Capital Reserve [Investments]		
अधिशेष / Opening Balance	1813416	645552
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	502581	1167864
उप-योग / Sub-Total IV	2315997	1813416
V. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियां / Revenue & Other Reserves		
क / a. राजस्व आरक्षित निधि: / Revenue Reserve:		
अधिशेष / Opening Balance	105700	105700
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	0	0
उप-योग V.अ / Sub-Total V.a	105700	105700
ख / b. विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अन्तर्गत / Special Reserve u/s 36 (i) (viii)		
अधिशेष / Opening Balance	95803	23224
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	119071	72579
उप-योग V.ब / Sub-Total V.b	214874	95803
VI. लाभ-हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	8788515	5970866
कुल योग / TOTAL [I+II+III+IV+Va+Vb+VI]	22325483	17572855



(000 को छोड़कर)
(000's OMITTED)

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
AS ON 31.03.2010
रु. / Rs.

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
AS ON 31.03.2009
रु. / Rs.

अनुसूची 3 - जमा राशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

क)A I. मांग जमा / Demand Deposits		
i. बैंकों से / From Banks	527408	313602
ii. अन्य से / From others	31039594	21169613
II. बचत बैंक जमा राशियां / Savings Bank Deposits	91513367	74773585
III. सावधि जमा / Term Deposits		
i. बैंकों से / From Banks	23196926	23066394
ii. अन्य से / From others	345273561	227433353
जोड़ / TOTAL [I+II+III]	491550856	346756547
ख)B. भारत में शाखाओं की जमा राशियां / Deposits of branches in India	491550856	346756547

अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4-BORROWINGS

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0	0
ii) अन्य बैंक / Other Banks	15989240	5500000
iii) अन्य संस्थान और अभिकरण / Other institutions & agencies	5872274	19614760
iv) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) / Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1600000	1600000
v) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पी.सी.पी.एस) / Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	2000000	2000000
vi) गौण ऋण / Subordinated Debt	11100000	7350000
II. भारत से बाहर उधार / Borrowings outside India	449000	0
जोड़ [I & II] / TOTAL [I & II]	37010514	36064760
उपरोक्त जोड़ (I) और (II) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार : / Secured borrowings Included in I & II above	0	0

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान /

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. देय बिल / Bills Payable	3590113	2531038
II. अन्तः कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments [net]	1609769	680981
III. प्रोदभूत ब्याज / Interest accrued	917069	1370557
IV. स्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability	575605	582611
V. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) / Others (including provisions)	5238819	4247960
जोड़ / TOTAL	11931375	9413147

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष

SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) / Cash in hand (including foreign currency notes)	913143	939122
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष / Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में / in Current Accounts	36969482	18631543
ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	0	0
जोड़ / TOTAL [I & II]	37882625	19570665



	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 रु./Rs.	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.
		(000 को छोड़कर) (000's OMITTED)
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /		
SCHEDULE 7-BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i) बैंकों में शेष / Balance with banks		
क / a) चालू खातों में / in Current Accounts	1091071	1048371
ख / b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	5616216	4800000
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call & Short notice		
क / a) बैंकों से / with banks	1000000	0
ख / b) अन्य संस्थाओं से / with other Institutions	0	0
उप-योग [I] / SUB-TOTAL [I]	7707287	5848371
II. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में / In Current Accounts	955217	1204201
ii) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	1008137	1781150
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call & Short notice	0	0
उप-योग [II] / SUB-TOTAL [II]	1963354	2985351
जोड़ [I+II] / TOTAL [I+II]	9670641	8833722
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8-INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश / Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां** / Government Securities**	152700525	109540983
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	1821578	3214707
iii) शेयर्स / Shares	1030799	664550
iv) डिबेंचर तथा बांड्स / Debentures & Bonds	13092340	6271015
v) सहायक इकाईयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान / Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
vi) अन्य / Others:		
क / a) वाणिज्यिक पत्र/प्रतिभूत रसीदें / Commercial Paper/ CD/ Securitised Receipts	9927097	6534935
ख / b) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड / Units of UTI, other MF	289509	41563
उप-योग [I] / SUB-TOTAL [I]	178868385	126274290
जोड़ [I + II] / TOTAL [I + II]	0	0
II. भारत से बाहर निवेश / Investments outside India		
कुल मूल्य / Gross Value	179866642	126564324
मूल्य हास का प्रावधान (-) / Provision for Depreciation [-]	998257	290034
निवल निवेश / Net Investments	178868385	126274290

** इनमें रु. 1715.46 करोड़ रु. की भारग्रस्त प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य 1766.11 करोड़ रु.) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 1956.34 करोड़ थीं (अंकित मूल्य 1980.36 करोड़ रु.)

** Includes encumbered securities of Rs. 1715.46 crore [Face Value Rs. 1766.11 crore] previous year Rs. 1956.34 crore [F.V. Rs. 1980.36 crore]



	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क/A) i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	6231908	8113510
ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार / Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	86215556	73199602
iii) सावधि ऋण / Term Loans	233943614	164840370
जोड़ / Total	326391078	246153482
ख/B) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ में अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	222859893	170292550
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/Government Guarantees	13891089	7450501
iii) गैर जमानती / Unsecured	89640096	68410431
जोड़ / Total	326391078	246153482
ग/C) भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	106919474	71951789
ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	81203499	46617794
iii) बैंक / Banks	1061155	7376896
iv) अन्य / Others	137206950	120207003
जोड़ / Total	326391078	246153482



	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.
अनुसूची 10 - स्थायी आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत / Cost as on 31st March of the preceding year	277211	258283
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन Appreciation in cost on account of revaluation	5375233	5375233
रुप-योग / Sub-Total	5652444	5633516
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	384	18928
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year on		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	0	0
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	0	0
घटाएं: अद्यतित दिनांक को मूल्यहास / Less: Depreciation to date on		
वास्तविक लागत पर / Original cost	-131668	-124523
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation cost	-512849	-326508
जोड़ / Total I	5008311	5201413
II. अन्य स्थायी आस्तियां (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं) / Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की लागत पर / At cost as on 31st March of the preceding year	1564068	1403472
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	144529	198680
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-106637	-38084
अद्यतन मूल्यहास / Depreciation to date	-1221202	-1207851
जोड़ II / Total II	380758	356217
कुल जोड़ I व II / TOTAL I & II	5389069	5557630



	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. प्रोद्भूत ब्याज / Interest accrued	2946633	2282412
II. अग्रिम रूप से संदत्त / स्रोत पर काटा गया कर / Tax paid in advance / Tax deducted at source	3420412	3416517
III. लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery & Stamps	26935	25162
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियां / Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
V. अन्य / Others	2053010	1523989
जोड़ / TOTAL	8446990	7248080
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ / SCHEDULE 12-CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / Claims against the bank not acknowledged as debts	72241	95651
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता / Liability on account of outstanding forward exchange contracts	39075669	33991532
IV. सघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां / Guarantees given on behalf of Constituents		
क / A) भारत में / In India	10796784	8135214
ख / B) भारत के बाहर / Outside India	0	0
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं / Acceptances, Endorsements and other obligations	8122556	9873305
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Other items for which the bank is contingently liable	5	235
जोड़ / TOTAL	58067255	52095937



	31.03.2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2010 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2009 रु./Rs.
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज		
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल/ Interest/discount on advances/ bills	27537039	24861311
II. निवेशों पर आय/Income on investments	10950757	6878213
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज/ Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	661289	683570
IV. अन्य/Others	192677	48563
जोड़ / TOTAL	39341762	32471657
अनुसूची 14 - अन्य आय		
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, exchange and brokerage	541262	588357
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)/Profit on sale of Investments [net]	1090561	1189038
III. भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)/ Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	788	716
IV. विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)/Profit on exchange transactions [net]	376528	399142
V. विविध आय/Miscellaneous Income	1922592	1658198
VI. पुनर्मूल्यन आरक्षित खाते से अंतरण/ Transfer from Revaluation Reserve Account	186341	241499
जोड़ / TOTAL	4118072	4076950



(000 को छोड़कर)
(000's OMITTED)

31.03.2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2010 रु./Rs.	31.03.2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2009 रु./Rs.
---	---

अनुसूची 15 - अपचित ब्याज

SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED

I. जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	25676923	20909944
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज / Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	519427	691237
III. अन्य / Others	1305989	751904
जोड़ / TOTAL	27502339	22353085

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान / Payments to and provisions for employees	5296426	5252443
II. किराया, कर और रोशनी / Rent, taxes and lighting	374908	342064
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री / Printing and stationery	68432	69461
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement & publicity	5365	3750
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास / Depreciation on Bank's property	306841	347814
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	2202	1394
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) / Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	58638	54903
VIII. विधि प्रभार / Law Charges	78678	43900
IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि / Postages, Telegrams, Telephones etc.	61151	64136
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs & maintenance	88734	85561
XI. बीमा / Insurance	369457	272243
XII. अन्य व्यय / Other expenditure	471012	440716
जोड़ / TOTAL	7181844	6978385



अनुसूची-17

प्रमुख लेखा नीतियां

1. सामान्य

जहां अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो, वित्तीय विवरण, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के सिद्धांतों पर परंपरागत मूल लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो भारत में प्रचलित कानूनी प्रावधानों तथा परंपराओं पर आधारित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फ़ैडआई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फ़ैडआई के द्वारा दी गई दरों पर फ़ैडआई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस.11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

2.3 विदेशी विनिमय लेन देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व, विदेशी मुद्रा गारंटी का मूल्यांकन फ़ैडआई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय आनुमानिक दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

3.1 निवेशों से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों / दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे "परिपक्वता तक रखना" "बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों / निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छः वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:

- सरकारी प्रतिभूतियां
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- शेयर्स (अंश)

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 General

The financial statements are prepared on historical cost basis by following going concern concept and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India, unless otherwise stated.

2 Foreign Exchange Transactions

2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.

2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.

2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.

2.4 Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees in foreign currencies are valued as per the rates published by FEDAI as on the date of closing except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3 Investments

3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.

3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above are made under six classifications viz.,

- Government Securities
- Other approved securities
- Shares



- iv. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बाण्ड
- v. सहायक इकाइयां / संयुक्त उपक्रम तथा
- vi. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार

- i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो को "परिपक्वता तक रखना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो को "व्यापार के लिए रखने" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं होते, को "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. निवेशों को खरीदते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्यहास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदानुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 प्रतिभूतियां जिन्हें "परिपक्वता तक रखना है" का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची-13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहां लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहां अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।
- 3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणी वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।
- 3.6 "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों" का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्य ह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया गया है।
- 3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।
- 3.8 "बिक्री हेतु उपलब्ध" एवं "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियां" श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश के मूल्य को "बाजार दर" पर निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव/दरों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए. आई.) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गये मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

- iv. Debentures
- v. Subsidiaries / Joint Ventures and
- vi. Others

3.3 Basis Of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held For Trading.
- iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available For Sale.
- iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortisation is shown under "Income on Investments Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually
- 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.
- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.
- 3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).



अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. भारत सरकार की प्रतिभूतियां: फिन्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
- ख. राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण-पत्रों तथा पी.एस.यू. बांड्स: फिन्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीएआई/फिन्डा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- ग. इक्विटी शेयर्स: नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर, जोकि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है, शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
- घ. म्युचुअल फंड यूनिट्स: पुनःक्रय मूल्य पर या शुद्ध आरित मूल्य पर।
- ङ. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनः पूंजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान – शुद्ध लागत पर।

3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टॉप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए गए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय आय माना गया है।

3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, "परिपक्वता तक रखना" श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.11 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में, आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। फिर भी, बैंक ने निम्नानुसार अवमानक और संदिग्ध श्रेणियों के लिए उच्चतर प्रावधान किए हैं।

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

- a. Government of India Securities: At rates put out by FIMMDA/PDAI;
- b. State Government Loans, Other approved Securities, preference shares, Debentures and PSU Bonds: On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI;
- c. Equity Shares: At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company;
- d. Mutual Fund Units: At re-purchase price or Net Assets Value;
- e. Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions: At carrying cost.

3.9 In determining acquisition cost of investments:

- a. Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
- b. Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
- c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.11 In respect of non-performing securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

4 Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. However, the bank has made higher provisions for Sub-standard and Doubtful categories as follows:



आस्तियों की श्रेणी	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित	बैंक द्वारा अनुवर्तित
अवमानक	10%	35%
संदिग्ध- I	20%	65%
संदिग्ध- II	30%	100%

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार पुनः बनाए गए/पुनः व्यवस्थित किए गए अग्रिमों, प्रावधानों का अनुरक्षण किया गया है।

- 4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुपयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी./ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।
- 4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार "अन्य दायित्व तथा प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

5. अचल आस्तियां :

- 5.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पुनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।
- 5.2 स्थाई पट्टे पर लिए गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

6. अचल आस्तियों पर मूल्यहास :

- 6.1 मूल्यहास निम्नानुसार लगाया गया है :
- 6.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 प्रतिशत; परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।
- 6.1.2 आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितंबर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है तथा इसके पश्चात् होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है।
- 6.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ कुछ परिसरों का मूल्य संमिश्र मूल्य पर लिया गया है।
- 6.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 6.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यहास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

Category of Asset	As prescribed by RBI	As followed by Bank
Sub-standard	10%	35%
Doubtful I	20%	65%
Doubtful II	30%	100%

For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

- 4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA Accounts is reduced from advances.
- 4.3 Provisions on standard advances are made and are included under 'Other Liabilities and Provisions' as per RBI guidelines.

5 Fixed Assets

- 5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 5.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

6 Depreciation on Fixed Assets :

- 6.1 Depreciation is provided for on -
- 6.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
- 6.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.
- 6.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.
- 6.2 No depreciation is provided in assets sold/dropped of during the year.
- 6.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.



7. राजस्व मान्यता :

- 7.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 7.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुपयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।
- 7.3 अनुपयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।
- 7.4 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मरचेन्ट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रॉसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण तथा म्युचुअल फण्ड उत्पाद के यूनिटों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
- 7.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 7.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।
- 7.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गयी है।
- 7.8 टीयर II पूंजी में उन्नयन के कारण बॉन्ड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।

8. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ :

ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। बीमाकिक पद्धतियों के आधार पर पेंशन फंड तथा बीमारी की छुट्टी से संबंधित संक्रमणकालीन दायित्व को पुनरीक्षित लेखा-मानक-15 (ए.एस.-15) के अनुसार वर्ष 2007-08 से आरंभ कर 5 वर्षों की अवधि में समाप्त किया जाना है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र डी.बी.ओ.डी.बी.पी. संख्या 271/21.01.002/2005-06 दिनांक 23.08.2005 द्वारा इसे 10 वर्षों से शेष 7 वर्षों में समाप्त किया जाना अनुमोदित है।

9. आय पर कर

- 9.1 चालू आय कर को लागू कर-दरों तथा विधिक निर्णयों/प्रामर्श हेतु दी जानी वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 9.2 एएस-22 आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

7 Revenue Recognition

- 7.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 7.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 7.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.
- 7.4 Income on guarantees and letters of credit issued, Locker rent, income from Merchant Banking transactions, money transfer service, Dividend on shares, Interest on Refund of Income Tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of Mutual Fund product are accounted for on receipt basis.
- 7.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 7.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.
- 7.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 7.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8 Staff Retirement Benefits

Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation. Transitional liability relating to Pension Fund and Sick Leave determined as per actuarial valuation is written off over a period of five years commencing from 2007-08 in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS-15) as against remaining seven years out of ten years as approved by Reserve Bank of India vide its letter no. DBOD.BP.No. 271/21.01.002/2005-06 dated 23.08.2005.

9 Taxes on Income

- 9.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/legal opinions.
- 9.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.



अनुसूची -18

लेखों संबंधी टिप्पणियां

- 1 बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन
 - 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
 - 1.2 खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 28.02.2010 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
 - 1.3 बैंकों, नोस्ट्रो, ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/भुगतान किए गए डिविडेंड वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उच्चत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव, यदि कोई है तो नगण्य होगा जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 30.09.2009 की अवधि तक तथा 31.03.2010 को बकाया अंतर शाखा के सभी खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग-अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में नामे या कुछ शीर्षों में जमा शेष है। छः महीनो से अधिक की अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
 - 1.5 असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरूप रु. 3.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.36 करोड़) को अवरुद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु. 2.63 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 3.79 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है। दिनांक 01.04.1996 से दिनांक 31.03.2002 की अवधि के बीच जमा प्रविष्टियों के रु. 10509548.00 जोकि 2500 अमरीकी डालर से कम थी तथा अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते की राशि के बराबर थे, जिन्हें 01.04.1996 के बाद अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया था को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 11.05.2009 संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 133 / 21.04.018 / 2008-09 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिनांक 31.12.2009 को प्रचलित टीटी क्रय दर पर 'विविध आय खाते' में अंतरित कर दिया था।

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

- 1 Balancing of Books and Reconciliation
 - 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
 - 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter Office Adjustments(including old outstanding entries) has been done up to 28.02.2010 and reconciliation is in progress.
 - 1.3 Reconciliation of accounts with banks, NOSTRO, Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS (Suspense) etc. is in progress. In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.
 - 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2009 and remaining outstanding as on 31.03.2010 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months.
 - 1.5 Aggregate net credit position in respect of un-reconciled NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs 3.20 crore (previous year Rs 3.36crore) has been transferred to Blocked NOSTRO Account Sundry Creditors out of which Rs 1.77 crore for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Un-reconciled credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs 2.63 crore (previous year Rs. 3.79 crore) have been segregated and kept in Unclaimed Deposit (NOSTRO) Account. An amount of Rs. 105,09,548.00 being sum of total credit entries for less than US\$ 2500 and equiv in NOSTRO Account pertaining to the period between 1.04.1996 and 31.03.2002 which was kept in Unclaimed Deposit (NOSTRO) Accounts for the period after 1.04.1996 has been transferred to "Miscellaneous Income Account" on 30.12.2009 at prevailing TT buying rates in terms of RBI guidelines contained in its Circular No. DBOD. BP. BC. No. 133 / 21.04.018 / 2008-09 dated 11.05.2009.



- 2 रुपये 4.09 करोड़ की वास्तविक लागत की छः संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष हैं। (पिछले वर्ष 7 संपत्तियों रु. 4.81 करोड़ की थीं।)

- 2 Legal formalities are yet to be completed in respect of 6 Bank's properties having original cost of Rs. 4.09 crore (Previous year 7 properties costing Rs.4.81 crore).

3. पूंजी

3. Capital

(रुपये करोड़ों में)

	मर्दे	2009-10	2008-09
(i)	सी.आर.ए.आर. (%) (बेसिल-1)	11.74%	11.88%
(ii)	सी.आर.ए.आर.-टियर I पूंजी (%) (बेसिल-1)	6.89%	6.99%
(iii)	सी.आर.ए.आर.-टियर II पूंजी (%) (बेसिल-1)	4.85%	4.89%
(iv)	सी.आर.ए.आर. (%) (बेसिल-2)	13.10%	14.35%
(v)	सी.आर.ए.आर.-टियर I पूंजी (%) (बेसिल-2)	7.68%	8.44%
(vi)	सी.आर.ए.आर.-टियर II पूंजी (%) (बेसिल-2)	5.42%	5.91%
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	100%	100%
(viii)	आईपीडीआई के निर्गम से प्राप्त राशि	160.00	160.00
(ix)	अपर टीयर II लिखित से प्राप्त राशि	0	0
(x)	टियर II की पूंजी के अंतर्गत वर्णित गौण ऋण राशि	1110.00	735.00
(xi)	इनमें से टियर II के लिए पात्र राशि	1066.00	708.00

(Rupees in crore)

	Items	2009-10	2008-09
(i)	CRAR (%) (Basel-I)	11.74%	11.88%
(ii)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-I)	6.89%	6.99%
(iii)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-I)	4.85%	4.89%
(iv)	CRAR (%) (Basel-II)	13.10%	14.35%
(v)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-II)	7.68%	8.44%
(vi)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-II)	5.42%	5.91%
(vii)	Percentage of the shareholding of the Government of India	100%	100%
(viii)	Amount raised by issue of IPDI	160.00	160.00
(ix)	Amount raised by issue of Upper Tier II Instruments	Nil	Nil
(x)	Amount of subordinated debt raised as Tier II capital	1110.00	735.00
(xi)	Out of which eligible for Tier II	1066.00	708.00

4. निवेश

4. Investments

4.1 निवेशों का मूल्य

4.1 Value of Investments

(रुपये करोड़ों में)

(Rupees in crore)

	मर्दे	2009-10	2008-09
निवेशों का मूल्य			
1.	(i) निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	17986.66	12656.43
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(ii) मूल्यहास हेतु प्रावधान (एनपीए प्रावधान सहित)		
	(क) भारत में	99.82	29.00
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(क) भारत में	17886.84	12627.43
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य

	Items	2009-10	2008-09
Value of Investments			
(1)	(i) Gross Value of Investments		
	(a) In India	17986.66	12656.43
	(b) Outside India	Nil	Nil
	(ii) Provisions for Depreciation (including provision for NPA)		
	(a) In India	99.82	29.00
	(b) Outside India	Nil	Nil
	(iii) Net Value of Investments		
	(a) In India	17886.84	12627.43
	(b) Outside India	Nil	Nil



2.	निवेशों में मूल्यहास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन पी ए के प्रावधानों सहित)		
(i)	अथ शेष	29.00	51.29
(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए प्रावधान	74.21	3.30
(iii)	घटा: वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बढ़ते खाते डालना/पुनरांकन	3.39	25.59
(iv)	शेष	99.82	29.00

(2)	Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)		
(i)	Opening balance	29.00	51.29
(ii)	Add: Provisions made during the year	74.21	3.30
(iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	3.39	25.59
(iv)	Closing balance	99.82	29.00

4.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन

4.2 Repo / Reverse Repo Transactions

4.2.1 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (सरकारी प्रतिभूतियां)

4.2.1 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	न्यूनतम बकाया / Minimum Outstanding	अधिकतम बकाया / Maximum Outstanding	दैनिक औसत बकाया / Daily Average Outstanding	अथ शेष Balance as on 31.03.2010
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां / Securities sold under Repos	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities Purchased under Reverse Repos	196.00	1800.00	566.27	शून्य / Nil

4.2.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन देन प्रविष्टियां (कंपनी ऋण प्रतिभूतियां)

4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	न्यूनतम बकाया / Minimum Outstanding	अधिकतम बकाया / Maximum Outstanding	दैनिक औसत बकाया / Daily Average Outstanding	अथ शेष Balance as on 31.03.2010
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां / Securities sold under Repos	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities Purchased under Reverse Repos	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil



4.3 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची : 31.03.2010 जारीकर्ता संघटन की स्थिति
Non-SLR Investment Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2010

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

संख्या / No	जारी कर्ता / Issuer	राशि Amount	निजी स्थापन की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Un-rated' Securities	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	339.41	311.52	शून्य / Nil	25.00	25.00
ii	वित्तीय संस्थान / FIs	669.61	582.55	शून्य / Nil	25.59	50.59
iii	बैंक / Banks	1116.20	1114.55	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
iv	निजी कं. / Private Corporate	302.68	253.37	शून्य / Nil	1.03	1.03
v	सहायक / संयुक्त उपक्रम / Subsidiaries/Joint Ventures	0.65	0.65	शून्य / Nil	शून्य / Nil	0.65
vi	अन्य / Others	32.79	2.16	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
vii	मूल्यहास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित) Provision held towards depreciation (including NPA)	26.71	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	कुल / Total	2434.63	2265.00	शून्य / Nil	51.62	77.27

4.4 अनुपयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में
उतार-चढ़ाव

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2009-10	2008-09
अथ शेष	25.03	26.49
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	0.16
वर्ष के दौरान कटौतियां	शून्य	1.62
इति शेष	25.03	25.03
कुल प्रावधान	25.03	25.03

4.4 Movement of Non Performing Non SLR
Investments

(Rupees in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
Opening balance	25.03	26.49
Additions during the year	Nil	0.16
Reductions during the year	Nil	1.62
Closing balance	25.03	25.03
Total Provisions held	25.03	25.03

4.5 व्युत्पत्तियां

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेनदेन नहीं किया है। (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पत्तियां) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.5 Derivatives

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2009-10. Accordingly, qualitative and quantitative disclosure under RBI guidelines with respect to derivative transactions is not required.



4.6 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनूचित/पुनः पराक्रमित निवेश

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2009-10	2008-09
मानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.7 वर्ष के दौरान क्रमशः रु. 39.05 करोड़ तथा रु. 0.93 करोड़ के प्रावधान करने के बाद बैंक ने रु. 650 करोड़ (अंकित मूल्य) को "बिक्री हेतु उपलब्ध" शीर्ष से "परिपक्वता तक रखने" तथा रु. 45 करोड़ (अंकित मूल्य) "व्यापार हेतु रखने" से "बिक्री हेतु उपलब्ध" के शीर्ष में अंतरित नहीं किया।

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुपयोज्य आस्तियां

(रुपये करोड़ों में)

मदें	2009-10	2008-09
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एन.पी.ए. (%)	0.36	0.32
(ii) प्रावधानन समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	89.62	92.80
(iii) सकल एन.पी.ए. में घट-बढ़		
(क) अथ शेष	161.04	135.53
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	208.05	141.87
(ग) वर्ष के दौरान कमी	162.94	116.36
(घ) इति शेष	206.15	161.04
(iv) निवल एन.पी.ए. में घट-बढ़		
(क) अथ शेष	78.03	66.97
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	142.11	77.35
(ग) वर्ष के दौरान कमी	103.51	66.29
(घ) इति शेष	116.63	78.03
(v) एन.पी.ए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	78.95	65.71
(ख) जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	116.15	85.72
(ग) घटा: अधिक प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनर्नाकन	108.90	72.48
(घ) इति शेष	86.20	78.95

4.6 Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year

(Rupees in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil

4.7 During the year, the Bank shifted securities worth Rs. 650 crore (face value) from "Available for Sale" to "Held till Maturity" and Rs. 45 crore (face value) from "Held for Trading" to "Available for Sale" after providing depreciation of Rs. 39.05 crore and Rs. 0.93 crore respectively. The Bank has not shifted any investments from "Held till Maturity" to "Available for Sale" during the year.

5. Asset Quality

5.1 Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items	2009-10	2008-09
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.36	0.32
(ii) Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)	89.62	92.80
(iii) Movement of Gross NPAs		
(a) Opening Balance	161.04	135.53
(b) Additions during the year	208.05	141.87
(c) Reductions during the year	162.94	116.36
(d) Closing balance	206.15	161.04
(iv) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	78.03	66.97
(b) Additions during the year	142.11	77.35
(c) Reductions during the year	103.51	66.29
(d) Closing balance	116.63	78.03
(v) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening Balance	78.95	65.71
(b) Add: provisions made during the year	116.15	85.72
(c) Less: write off, write back of excess provisions	108.90	72.48
(d) Closing balance	86.20	78.95



- 5.2 डी.आई.सी.जी.सी./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली योग्य हैं, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।
- 5.3 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण
- 5.2 DICGC / ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid /realizable.
- 5.3 Details of Accounts Restructured

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

मर्दे / Items		सीडीआर के अंतर्गत / Under CDR		एसएमई / SME		अन्य / Others		
		2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	
i)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किये गए मानक अग्रिम / Standard Advances restructured, rescheduled, renegotiated	उधारियों की संख्या / No. of Borrowers	2	1	513	595	1582	2845
	बकाया राशि / Amount Outstanding	28.44	5.68	61.52	83.99	542.53	434.62	
	परित्याग (उचित मूल्य में हास) / Sacrifice (diminution in the fair value)	3.42	0.31	1.39	0.59	8.12	2.25	
ii)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किये गए अवमानक अग्रिम / Sub-Standard Advances restructured, rescheduled, renegotiated	उधारियों की संख्या / No. of Borrowers	0	0	56	109	96	129
	बकाया राशि / Amount Outstanding	0.00	0	1.91	5.54	1.19	2.93	
	परित्याग (उचित मूल्य में हास) / Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0	0.03	0.07	0.02	0.02	
iii)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किये गए अशोध्य अग्रिम / Doubtful Advances restructured, rescheduled, renegotiated	उधारियों की संख्या / No. of Borrowers	0	0	45	2	23	1
	बकाया राशि / Amount Outstanding	0.00	0	0.26	0.12	0.28	0.01	
	परित्याग (उचित मूल्य में हास) / Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0	0.01	0.00	0.01	0.00	
iv)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किये गए कुल अग्रिम / (i) + (ii) + (iii) / Total Advances restructured, rescheduled, renegotiated (i) + (ii) + (iii)	उधारियों की संख्या / No. of Borrowers	2	1	614	706	1701	2975
	बकाया राशि / Amount Outstanding	28.44	5.68	63.69	89.65	544	437.56	
	परित्याग (उचित मूल्य में हास) / Sacrifice (diminution in the fair value)	3.42	0.31	1.43	0.66	8.15	2.27	



5.4 आस्ति पुनसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रुपये करोड़ों में)

मदें	2009-10	2008-09
(i) खातों की संख्या	3	1
(ii) एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	22.00	1.38
(iv) पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.95	शून्य
(v) शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	22.00	1.38

(*) कुल प्रतिफल राशि में रु. 22 करोड़ नकदी तथा रु. शून्य करोड़ की प्रतिभूति रसीदें शामिल हैं।

5.5 खरीदे/बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) खरीदे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2009-10	2008-09
(1) (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
(2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2009-10	2008-09
(1) बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(2) कुल बकाया	शून्य	शून्य
(3) प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रुपये करोड़ों में)

मदें	2009-10	2008-09
मानक आस्तियों पर प्रावधान	127.43	121.69

5.7 भारत सरकार द्वारा चालू की गई कृषि ऋण छूट तथा ऋण सहायता योजना 2008 की शर्तों के अनुरूप रु. 47.72 करोड़ की राशि को ऋण छूट योजना के अंतर्गत छूट दे दी गई और केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों के सत्यापन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को दावा दायर

5.4 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(Rupees in crore)

Item	2009-10	2008-09
(i) Number of Accounts	3	1
(ii) Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii) Aggregate consideration	22.00	1.38
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.95	Nil
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	22.00	1.38

(*) Aggregate consideration includes cash Rs.22.00 crore and Security Receipts Rs. Nil

5.5 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees. in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
(1) (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
(2) (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees. in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
(1) No. of accounts sold	Nil	Nil
(2) Aggregate outstanding	Nil	Nil
(3) Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.6 Provisions on Standard Assets

(Rupees. in crore)

Items	2009-10	2008-09
Provisions towards Standard Assets	127.43	121.69

5.7 In terms of the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008 framed by the Government of India, an amount of Rs.47.72 crore has been waived under the Debt Waiver Scheme and final claim has been lodged with RBI after verification



कर दिया है जिसके एवज़ में बैंक को रु. 31.23 करोड़ प्राप्त हुए हैं। दिनांक 31.03.2010 तक कृषि सहायता योजना के अंतर्गत रु. 14.73 करोड़ के दावों का निपटान हो गया है। उपरोक्त दावे सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणीकरण पर ही मान्य होंगे।

- 5.8 ऋण सहायता योजना के संबंध में, बैंक ने रु. 0.44 करोड़ का प्रावधान किया है जो कि पात्र किसानों से रु. 0.68 करोड़ के वर्तमान प्रावधान से प्राप्त राशि के वर्तमान मूल्य में हानि के एवज़ में है तथा शेष प्रावधान का पुनरांकन कर दिया गया है। योजना के अनुसार, इन खातों में बकाया को मानक श्रेणी मान लिया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, उपरोक्त योजना में अन्य किसानों द्वारा कालातीत भुगतान की राशि के 75% के भुगतान हेतु एक या अधिक किश्तों में भुगतान की दिनांक 30.06.2010 तक कर दी है।

6. कारोबार अनुपात

मर्दे	2009-10	2008-09
(i) औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	8.10%	9.35%
(ii) औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.85%	1.17%
(iii) औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.81%	2.08%
(iv) आस्तियों से आय	1.05%	1.24%
(v) प्रति कर्मचारी (रुपये करोड़ों में) कारोबार (जमाराशियां + अग्रिम)	9.63	6.56
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये करोड़ों में)	0.06	0.05

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2010 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप:

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि) Maturity Pattern (Time Buckets)	जमाराशियां/ Deposits	ऋण तथा अग्रिम/ Loans & Advances	निवेश/ Investments	उधार/ Borrowings	विदेशी मुद्रा / Foreign Currency	
					देयताएं/ Liabilities	आस्तियां/ Assets
1 दिन / day	421.15	200.30	शून्य / Nil	शून्य / Nil	45.83	122.18
2-7 दिन / days	798.15	489.19	249.40	1598.92	2.68	118.35
8-14 दिन / days	1347.46	1506.99	440.74	शून्य / Nil	5.73	14.14
15-28 दिन / days	3875.01	1828.19	424.72	शून्य / Nil	33.78	60.31

by the Statutory Central Auditors, against which Bank has received Rs.31.23 crore. The Debt Relief Claim amounting to Rs.14.73 crore in respect of Agriculture Debt Relief has been settled till 31.03.2010. The said claims are subject to certification by Statutory Central Auditors.

- 5.8 In respect of Debt Relief Scheme, Bank has made a provision of Rs.0.44 crore against loss in Present Value Terms on amount receivable from eligible farmers from the existing provisions held amounting to Rs.0.68 crore and balance provision has been written back. Outstanding in these accounts has been considered as standard category as under the said scheme the last date for payment of 75% of the overdue portion by the other farmers are allowed to repay the amount in one or more installments upto 30.06.10 as per RBI guidelines.

6. Business Ratios

Items	2009-10	2008-09
(i) Interest Income as a percentage to average working funds	8.10%	9.35%
(ii) Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.85%	1.17%
(iii) Operating Profit as a percentage to average working funds	1.81%	2.08%
(iv) Return on Assets	1.05%	1.24%
(v) Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	9.63	6.56
(vi) Profit per employee (Rs. in crore)	0.06	0.05

7. Asset Liability Management

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2010:

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)



29 दिन से 3 माह तक / 29 days to 3 months	7571.19	7024.50	1085.58	522.45	24.47	125.49
3 माह से अधिक 6 माह तक / Over 3 months & up to 6 months	8355.47	4304.54	192.12	34.60	63.19	177.71
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक / Over 6 months & up to 1 year	13247.48	2268.28	53.16	0.08	118.27	शून्य / Nil
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक / Over 1 year & up to 3 years	5290.26	6214.58	826.25	120.00	47.57	शून्य / Nil
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक / Over 3 years & up to 5 years	1972.35	3625.82	2152.84	40.00	6.83	शून्य / Nil
5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	6276.56	5176.72	12462.03	1385.00	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total	49155.08	32639.11	17886.84	3701.05	348.35	618.18

8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

श्रेणी / Category		31.03.2010	31.03.2009
	प्रत्यक्ष ऋण / Direct Exposure		
(क) / (a)	रिहायशी बंधक / Residential Mortgages		
(i)	ऐसी संपत्तियां जिन पर उधारी का कब्जा है या किराये पर दी हुई हैं, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है। Lending fully secured by mortgage of residential properties that is or will be occupied by the borrower or that is rented	1319.39	1180.84
(ii)	व्यक्तिगत आवास ऋण जो की प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं / Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	1059.97	931.22
(ख) / (b)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा / Commercial Real Estate		
(i)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहां बहुत से किरायेदार रहते हैं, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी) के ऋण भी शामिल हैं Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	1978.93	1640.74



(ग)/(c)	बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम.बी.एस) और अन्य जमानती ऋण। Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(क)/(a)	रिहायशी / Residential	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ख)/(b)	व्यावसायिक-वास्तविक संपदा / Commercial Real Estate	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2.	अप्रत्यक्ष ऋण [राष्ट्रीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बैंक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर-निधि आधारित ऋण]] Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	2372.33	1308.23
	वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागेदारी / Total Exposure to Real Estate Sector	6730.62	5061.03

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारिता

8.2 Exposure to Capital Market

(रुपये करोड़ों में)

मर्दे	2009-10	2008-09
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों के यूनितों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	113.63	53.82
(ii) सामान्य अशों (आई.पी.ओ./ ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों में विनियोग के लिए अशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	शून्य	0.08
(iii) किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अशों या परिवर्तनीय अशों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.01	0.18
(iv) अशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहां पर अशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	0.01
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	9.27	3.49

(Rupees in crore)

Items	2009-10	2008-09
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	113.63	53.82
(ii) Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	Nil	0.08
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.01	0.18
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	0.01
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	9.27	3.49



(vi)	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर कम्पनियों को संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
(viii)	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
(ix)	मार्जिन सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
(x)	पूजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	0.88	1.22
	पूजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी	123.79	58.80

(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	0.88	1.22
	Total Exposure to Capital Market	123.79	58.80

8.3 देशवार ऋण जोखिम

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित हैं बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस जी एल) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल) के विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिनपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2009-10, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board:

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

क्र.सं. S.No	उधारियों के नाम / Name of the Borrower	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा Maximum Limit during the year	ऋण जोखिम (%) / Exposure (%) as on	31.03.10 को ऋण सीमा / देयताएं Limit / Liability as on 31.03.10	ऋण जोखिम (%) Exposure (%)
1.	एफ.सी.आई. / FCI	685.00	22.01.2010	687.95	20.08
2.	एल.आई.सी. हाऊसिंग फाइनेंस / LIC Housing Finance	670.00	22.01.2010	627.28	18.31



8.5 अमूर्त संपाश्रिक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूती-रहित अग्रिम

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	31.03.2010
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों आदि, पर ऋण भार	शून्य
अमूर्त प्रतिभूतियों का कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों पर ऋण भार	शून्य

9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

	2009-10	2008-09
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भा.रि.बैं. द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भा.रि.बैं. द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

9.2 बैंकशयोरेंस व्यापार के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रुपये करोड़ों में)

	2009-10	2008-09
क. आजीवन बीमा व्यापार से प्राप्त / शुल्क पारिश्रमिक	17.23	15.70
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त / शुल्क पारिश्रमिक	2.38	2.16
ग. यू.टी.आई. म्यूचुअल फंड व्यापार	0.095	0.152

10. मानक लेखांकन का अनुपालन:

10.1 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी		
(000 को छोड़कर)		
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह	2009-10	2008-09
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	5088017	4311781
समायोजन हेतु:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	3687634	2905356
मूल्यहास (निवल)	120500	106315
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-788	-716
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	1262701	531111

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2010
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	Nil
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	Nil

9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

	2009-10	2008-09
A Penalty imposed by RBI on Bank during the year	Nil	Nil
B Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. in crore)

	2009-10	2008-09
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	17.23	15.70
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	2.38	2.16
C. UTI Mutual Fund Business	0.095	0.152

10. Compliance with Accounting Standards:

10.1 Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2010		
(000's omitted)		
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	2009-10	2008-09
Net Profit/ (Loss) as per Profit & Loss Account	5088017	4311781
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	3687634	2905356
Depreciation (Net)	120500	106315
Profit on sale of assets	-788	-716
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1262701	531111



कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	10158064	7853847
समायोजन हेतु		
निक्षेपों में वृद्धि / (कमी)	144794309	98442463
उधारों में वृद्धि / (कमी)	-2804246	-4652416
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	2437579	2543571
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	-53702070	-41520092
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	-81160038	-63375041
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	-2775478	-3090613
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह	16948120	-3798281
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
स्थिर आस्तियों में वृद्धि	-138280	-215810
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	788	716
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-137492	-215094
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
गौण बांड जारी करना	3750000	4000000
गौण बांड का मोचन	0	-450000
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-1262701	-531111
पीएनसीपीएस पर लाभांश	-127397	0
लाभंश आबंटन कर	-21651	0
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	2338251	3018889
परिचालन गतिविधियों से नकदी	16948120	-3798281
निवेश गतिविधियों से नकदी	-137492	-215094
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	2338251	3018889
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	19148879	-994486
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी व नकदी समतुल्य	28404387	29398873
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	47553266	28404387

Operating Profit before working capital changes	10158064	7853847
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	144794309	98442463
Increase / (Decrease) in Borrowings	-2804246	-4652416
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	2437579	2543571
(Increase) / Decrease in Investments	-53702070	-41520092
(Increase) / Decrease in Advances	-81160038	-63375041
(Increase) / Decrease in Other Assets	-2775478	-3090613
Cash Flow from Operating Activities (A)	16948120	-3798281
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Increase in Fixed Assets	-138280	-215810
Profit on sale of assets	788	716
Cash Flow from Investing Activities (B)	-137492	-215094
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Issue of Subordinated Bonds	3750000	4000000
Redemption of Subordinated Bonds	0	-450000
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1262701	-531111
Dividend on PNCPs	-127397	0
Dividend Distribution Tax	-21651	0
Cash Flow from Financing Activities (C)	2338251	3018889
Cash from Operating Activities	16948120	-3798281
Cash from Investing Activities	-137492	-215094
Cash from Financing Activities	2338251	3018889
Increase in Cash & Cash Equivalents	19148879	-994486
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	28404387	29398873
Cash and Cash equivalents at the end of the year	47553266	28404387



10.2 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ए एस-5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.3 लेखा प्रणाली मानक-15 कर्मचारी लाभ

10.3 Accounting Standard 15 - Employees Benefit

10.3.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस.-15) के आधार पर किया गया है। पेंशन निधियों तथा रुग्णावकाश के संबंध में संक्रमण कालीन दायित्व को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर रु. 408.35 करोड़ तथा 01.04.2007 की स्थिति के अनुसार रु. 24.79 करोड़ आंका गया है जिसे संशोधित लेखा मानक (ए.एस.-15) के अतर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 से 5 वर्ष की अवधि में समाप्त किया जाएगा। पेंशन निधियों तथा रुग्णावकाश के संबंध में न पहचाने गए बीमाकिक दायित्व को क्रमशः रु. 163.34 करोड़ तथा रु. 9.92 करोड़ आंका गया है।

10.3.1 Provisions for pension, gratuity, leave encashment and other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI. In respect of pension funds and sick leave, transitional liability was computed at Rs.408.35 crore and Rs. 24.79 crore as on 01.04.2007 as per actuarial valuation which is to be written off over a period of five years w.e.f. financial year 2007-08 in terms of Revised Accounting Standard (AS - 15). The amount of unrecognized transitional liability on account of pension fund and sick leave is Rs. 163.34 crore and Rs. 9.92 crore respectively.

लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

The summarized position of post employment benefits are recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet as under:

10.3.2 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

10.3.2 Changes in the present value of the obligation

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य Present Value of defined benefit obligation as at 1 st April	1080.27	1037.63	298.02	272.96	148.19	130.89
ब्याज लागत Interest cost	86.53	85.60	23.76	22.51	11.86	10.80
वर्तमान सेवा लागत Current service cost	24.29	23.33	12.27	10.44	19.58	5.41
घटाएं: प्रदत्त लाभ Less: Benefits paid	(62.88)	(35.59)	(20.09)	(14.87)	(8.92)	(6.45)
बाध्यता पर बीमाकिक हानि / (लाभ) Actuarial loss / (gain) on obligations	(2.62)	(30.70)	(30.41)	6.98	(28.30)	7.54
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य Present value of defined Benefit obligation at 31 st March	1125.59	1080.27	283.55	298.02	142.41	148.19



10.3.3 योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

10.3.3 Changes in the Fair Value of Plan Assets

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		अवकाश नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल का मूल्य Fair value of Plan Assets as at 1 st April	808.66	690.55	292.59	268.18	145.60	127.50
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ Expected return of Plan Assets	69.10	58.70	24.10	22.80	12.49	11.48
नियोक्ता अंशदान Employer contribution	120.60	93.06	19.05	17.53	11.65	12.87
घटाएँ: प्रदत्त लाभ Less: Benefit paid	(62.88)	(35.59)	(20.09)	(14.87)	(8.92)	(6.45)
बीमांकिक हानि / (लाभ) Actuarial loss / (gain)	(1.35)	(1.94)	(0.20)	1.05	(2.84)	(0.20)
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य Fair value of Plan Assets as at 31 st March	936.83	808.66	315.85	292.59	163.66	145.60
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual return on Plan Assets	70.45	60.64	24.30	21.75	15.33	11.68

10.3.4 शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)

10.3.4 Net Actuarial Loss / (Gain)

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		अवकाश नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
मूल्यांकिक हानि / (लाभ) देयताएँ (ए) / Actuarial loss / (gain) on Obligation. (A)	(2.62)	(30.70)	(30.41)	6.98	(28.30)	7.54
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि (लाभ) / Actuarial loss / (gain) on Plan Assets. (B)	(1.35)	(1.94)	(0.20)	1.05	(2.84)	(0.20)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि / (लाभ) / Net Actuarial loss / (gain)	(3.97)	(32.64)	(30.61)	8.03	(31.14)	7.34
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि / (लाभ) / Actuarial loss / (gain) recognized in the period	(3.97)	(32.64)	(30.61)	8.03	(31.14)	7.34
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि / (लाभ) / Unrecognized actuarial loss / (Gain) at the end of the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil



10.3.5 तुलनपत्र में पहचानी गई राशि

10.3.5 Amount recognized in the Balance Sheet

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		अवकाश नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य / Present value of defined benefit obligation as at 31 st March	1125.59	1080.27	283.55	298.02	142.41	148.19
घटाएं: 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य / Less: Fair value of Plan Assets as at 31 st March	936.83	808.66	315.85	292.59	163.66	145.60
देयता तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति / देयता Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(188.76)	(271.61)	32.30	(5.43)	21.25	(2.59)

10.3.6 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

10.3.6 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		अवकाश नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
चालू सेवा लागत / Current service cost	24.29	23.33	12.27	10.44	19.58	5.41
ब्याज लागत / Interest cost	86.53	85.60	23.76	22.51	11.86	10.80
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न / Expected return on plan assets	(69.10)	(58.70)	(24.10)	(22.80)	(12.49)	(11.48)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) हानि / Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	(3.97)	(32.64)	(30.61)	8.03	(31.14)	7.34
शुद्ध लाभ व्यय / Net benefit expense	37.75	17.59	(18.68)	18.18	(12.19)	12.07



10.3.7 तुलनपत्र में पहचानी गई देयताओं में घट-बढ़

10.3.7 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		अवकाश नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
प्रारंभिक शुद्ध देयता / Opening net liability	271.61	347.08	5.43	4.78	2.59	3.39
शुद्ध लाभ व्यय / Net benefit expense	37.75	17.59	(18.68)	18.18	(12.19)	12.07
घटाएँ: भुगतान किया गया अंशदान / Less: Contribution paid	120.60	93.06	19.05	17.53	11.65	12.87
अन्तिम देयता / Closing liability	188.76	271.61	(32.30)	5.43	(21.25)	2.59

10.3.8 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

10.3.8 Investment percentage maintained by the trust

(प्रतिशत में) / (in %age)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		अवकाश नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां / Central Government Securities	34.00	32.05	33.07	30.26	शून्य / Nil	शून्य / Nil
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां / State Government Securities	18.44	19.15	16.62	18.17	शून्य / Nil	शून्य / Nil
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बॉण्ड्स / High quality corporate bonds	41.90	43.31	40.95	42.42	100.00	83.22
विशेष जमा योजनाएं / Special Deposit Scheme	4.81	5.49	8.85	9.15	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अन्य निवेश / Other investments	0.85	शून्य / Nil	0.51	शून्य / Nil	शून्य / Nil	16.78



10.3.9 तुलनपत्र की तिथि को मूल बीमाकिक मूल्यांकन 10.3.9 Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet date (expressed as weighted average)
(भारित औसत में प्रदर्शित)

(प्रतिशत में) / (in %age)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		अवकाश नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
बट्टा दर / Discount rate	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर / Expected rate of return on plan assets	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
वेतन में वृद्धि की दर / Rate of escalation in salary	5.00	5.25	5.00	5.25	5.00	5.25
अनुशय दर / Attrition rate	0.50	0.15	0.50	0.15	0.50	0.15
प्रयोग में लाई गई प्रणाली / Method used	पीयूसी PUC	पीयूसी PUC	पीयूसी PUC	पीयूसी PUC	पीयूसी PUC	पीयूसी PUC

10.3.10 बीमाकिक मूल्यांकन का आधार

10.3.10 Basis of Actuarial Assumption considered

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमाकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इनमें अपंगता कारक भी शामिल है।

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.



10.3.11 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधि)

10.3.11 Other long term employee benefit (Unfunded)

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	एलटीसी/ एलएफसी नकदीकरण LTC/LFC Encashment *	सिल्वर जुबली बोनस Silver jubilee Bonus	रुग्ण अवकाश Sick leave Including Casual leave	मेडिकल लाभ Medical Benefits *	सेवा निवृत्ति उपहार Retirement Gifts
देयता का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation	8.01	0.27	18.34	0.46	0.74
पारगमन देयता/ Transitional Liability	शून्य / Nil	शून्य / Nil	9.92	शून्य / Nil	शून्य / Nil
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता/ Transitional Liability recognized during the year	8.01	0.27	4.96	0.46	0.74
पहचान न की गई पारगमन देयता/ Unrecognized transitional liability	शून्य / Nil	शून्य / Nil	9.92	शून्य / Nil	शून्य / Nil
तुलनपत्र में पहचानी गई देयता/ Liability recognized in the Balance Sheet	8.01	0.27	4.96	0.46	0.74

* प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित / * As assessed by the management

10.3.12 अनुसूची 16 के अंतर्गत "कर्मचारियों को भुगतान तथा प्रावधान" में रुपए 45 करोड़ का तदर्थ प्रावधान शामिल है जो कि नवम्बर 2007 से लम्बित पड़े वेतन पुनरीक्षण समझौते हेतु है। (पिछले वर्ष रु. 55 करोड़)।

10.3.12 "Payment to and provision for Employee" under Schedule-16 includes an ad-hoc provision of Rs.45.00 crore towards wage revision pending settlement since November, 2007 (previous year Rs. 55.00 crore)

10.4 लेखामानक-17-खण्ड रिपोर्टिंग

10.4 Accounting Standard 17 Segment Reporting

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

व्यवसायिक खण्ड Business Segment	राजकोष/ Treasury		कारपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		फुटकर बैंकिंग/ Retail/Banking		अन्य बैंकिंग प्रचालन Other Banking Operations		कुल / Total	
	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
विवरण/ Particulars										
राजस्व / Revenue	1204.14	806.72	2292.55	1935.91	837.98	900.91	11.32	11.32	4345.99	3654.86
परिणाम / Result	164.67	100.14	735.65	621.49	268.90	289.22	11.32	11.32	1180.54	1022.17
गैर-आबंटित व्यय Unallocated expnses									302.97	300.45
परिचालन लाभ/ Operating Profit									877.57	721.72
प्रावधान व आकस्मिक देयताएं Provisions & Contingencies									211.10	82.88



आयकर/ Income Tax									157.66	207.66
विशेष लाभ/हानि Extra Ordinary Profit/ Loss		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
शुद्ध लाभ/ Net Profit									508.81	431.18
अन्य सूचना / Other Information:										
खण्ड संपत्तियां/ Segment Assets	18152.91	12841.23	27951.28	19231.29	10216.91	8949.62	0.00	0.00	56321.10	41022.14
गैर-आबंटित संपत्तियां/ Unallocated Assets									343.78	341.65
कुल संपत्तियां/ Total Assets									56664.88	41363.79
खण्ड देयताएं/ Segment Liabilities	17350.24	12238.63	26715.35	18328.82	9765.14	8529.64	0.00	0.00	53830.73	39097.09
गैर-आबंटित देयताएं/ Unallocated Liabilities									218.54	126.36
कुल देयताएं/ Total Liabilities									54049.27	39223.45

नोट: मानक ए.एस. 17 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खण्ड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खण्डों में वर्गीकृत किया गया है जोकि अ) राजकोष परिचालन ब) कारपोरेट/थोक बैंकिंग सी) फुटकर बैंकिंग डी) अन्य बैंकिंग परिचालन है।

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक खण्ड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

कारपोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खण्ड के संबंध में खण्डीय राजस्व, परिणाम, आरित तथा देयताओं को इन खण्डों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहां खण्डों से संबंधित आरित तथा देयताएं, आबंटित की गईं हो तथा जहां पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो उनका आबंटन तथा अनुपात खण्ड राजस्व के आधार पर किया गया है।

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.



10.5 लेखामानक-18-संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

- सरदार आर.पी.सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (25.08.2009 तक)
- सरदार जी.एस.वेदी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (26.08.2009 से)
- सरदार जी.एस.वेदी, कार्यकारी निदेशक (25.08.2009 तक)
- श्री पी.के. आनन्द कार्यकारी निदेशक (07.12.2009 से)

क) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक :

- सरदार आर.पी.सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रुपए 19.46 लाख
- सरदार जी.एस.वेदी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रुपए 8.85 लाख
- सरदार जी.एस.वेदी, कार्यकारी निदेशक रुपए 8.45 लाख
- श्री पी.के. आनन्द, कार्यकारी निदेशक रुपए 3.44 लाख
- सरदार जी.एस.माटा, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक रुपए 5.25 लाख

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण :

दिनांक 31.03.2010 को बकाया ऋण: शून्य

ग) सहयोगी संस्था

सतलुज ग्रामीण बैंक/आरआरबी-कुल ऋण जोखिम रु. 5.56 करोड़ (सावधि जमा पर ऋण)

10.6 लेखा मानक 22-आय पर करों हेतु लेखांकन

10.6.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-22, "आय पर करों का लेखांकन" का अनुपालन किया है।

10.6.2 आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

10.5 Accounting Standards 18 Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

- Sardar R. P. Singh, Chairman & Managing Director (up to 25.08.2009)
- Sardar G.S. Vedi, Chairman & Managing Director (from 26.08.2009)
- Sardar G.S. Vedi, Executive Director (up to 25.08.2009)
- Shri P.K.Anand, Executive Director (from 07.12.2009)

a). Remuneration paid to Key Managerial Personnel:

- Sardar R. P. Singh, Chairman & Managing Director Rs.19.46 lacs
- Sardar G.S. Vedi, Chairman & Managing Director Rs.8.85 lacs
- Sardar G.S. Vedi, Executive Director Rs.8.45 lacs
- Shri P.K.Anand, Executive Director Rs.3.44 lacs
- Sardar G.S. Matta, Ex. Executive Director Rs.5.25 lacs

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Loans outstanding as on 31.03.2010 Nil

c) Associate Entity

Satluj Gramin Bank / RRB - Total Exposures Rs. 5.56 crore (Advances against FDRs)

10.6 Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income

10.6.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.6.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

	शीर्ष / Head	आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assests		आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
1.	स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets		शून्य / Nil	2.69	2.81



2.	उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं / Interest accrued but not due on securities		शून्य / Nil	88.86	70.89
3.	वेतन पुनरीक्षण हेतु प्रावधान / Provision for wage revision	33.99	18.69		शून्य / Nil
4.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(I) (VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि / Special Reserve u/s 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961		शून्य / Nil	शून्य / Nil	3.26
	जोड़ / Total	33.99	18.69	91.55	76.96

विशेष धारा 36(I) (VIII) के अंतर्गत बनाई और अनुरक्षित की गई आस्थगित कर देयता पर प्रबंधन के विशेष आरक्षित से आहरित न करने के अटल निर्णय के दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है। /
The Deferred Tax Liability on account of Special Reserve created and maintained u/s 36 (i) (viii) has not been considered necessary in view of the management's irrevocable decisions not to withdraw from the Special Reserve.

- 10.6.3 विधिक विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभूतियों के मूल्य पर आय कर की गणना के स्थायी अंतर को बैंक ने विचार में लिया है तथा तदनुसार रूपए 171.59 करोड़ (पूर्व वर्ष के रु. 101.43 करोड़) की राशि की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया है।
- 10.6.3 Based on the opinion of legal expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent difference and accordingly, deferred tax liability of Rs. 171.59 crore (Previous Year Rs. 101.43 crore) has not been considered necessary.
- 10.6.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा धारित आयकर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ के प्रावधान पर्याप्त पाए गए हैं।
- 10.6.4 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.
- 10.6.5 अपील प्राधिकारियों के निर्णय, न्यायिक प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याजकर की कुल राशि 177.22 करोड़ रूपए (पूर्व वर्ष रूपए 185.11 करोड़) की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि पूर्ण मांग का भुगतान/देय धन वापसी के एवज में समायोजन कर दिया है।
- 10.6.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income Tax, Fringed Benefit Tax and Interest Tax aggregating to Rs. 177.22 crore (Previous year Rs.185.11 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts. However the entire demand is covered against the refund that is likely to accrue.
- 10.7 लेखामानक 28- आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन
ए एस-28 में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियां" माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाईयां"। प्रबंधन की राय के अनुसार 31.03.2010 तक समग्र राशि की स्थिर अनर्जक आस्तियां कोई नहीं हैं।
- 10.7 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets
Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2010, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI.
- 10.8 लेखामानक 29-ए.एस.-29 का अनुपालन: प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का प्रावधान।
ए.एस.-29 के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।
- 10.8 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets
As per AS-29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -



- क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और
- ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि :
- यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके। या
 - देयता राशि का विश्वसनीय अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। इनका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में, जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि इससे उस आय की पहचान हो सकती है जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(रुपये करोड़ों में)

लाम हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा:	2009-10	2008-09
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	91.92	64.46
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	0.00	-1.63
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान	110.80	-0.16
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	5.74	11.95
आय-कर हेतु प्रावधान	159.94	92.56
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	-0.70	55.45
अनुषंगी लाभ कर प्रावधान	0.00	1.53
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-1.74	58.03
अन्य	2.80	8.34
कुल	368.76	290.53

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- b) Any present obligation from the past events but is not recognized because
- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

11.1 Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2009-10	2008-09
Provision for Non Performing Advances	91.92	64.46
Provision for Non Performing Investments	0.00	-1.63
Provision for Depreciation in the value of Investments	110.80	-0.16
Provision for Standard Asset	5.74	11.95
Provision for Income Tax	159.94	92.56
Provision for Deferred Tax	-0.70	55.45
Provision for Fringe Benefit Tax	0.00	1.53
MAT Credit Entitlement	-1.74	58.03
Others	2.80	8.34
Total	368.76	290.53



11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रुपये करोड़ों में)

	2009-10	2008-09
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इतिशेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. 3.32 लाख (पिछले वर्ष रु. 1.76 लाख) की राशि का आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें

	2009-10	2008-09
क) वर्ष के आरम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	12	40
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	555	483
ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	549	511
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	18	12

11.5 बैंकिंग लोकपाल निर्णीत मामले

	2009-10	2008-09
क) वर्ष के आरम्भ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1
ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	19	16
ग) वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	19	16
घ) वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रुपये करोड़ों में)

	31.03.2010
सबसे बड़े 20 ऋणियों की कुल जमा	11,411.45
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	23.21%

11.2 Movement of Floating Provisions

(Rupees in crore)

	2009-10	2008-09
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 Draw down from Reserve

A sum of Rs 3.32 lacs (previous year Rs. 1.76 lacs) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 Customer's Complaints:

	2009-10	2008-09
a) No. of Complaints pending at the beginning of the year	12	40
b) No. of Complaints received during the year	555	483
c) No. of Complaints redressed during the year	549	511
d) No. of Complaints pending at the end of the year	18	12

11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

	2009-10	2008-09
a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	1
b) No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	19	16
c) No. of Awards implemented during the year	19	16
d) No. of Unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1

11.6. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees in crore)

	31.03.2010
Total Deposits of twenty largest depositors	11,411.45
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	23.21%



11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रुपये करोड़ों में)

	31.03.2010
सबसे बड़े 20 ऋणियों को कुल अग्रिम	8155.91
बैंक की कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	24.91%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रुपये करोड़ों में)

	31.03.2010
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	8392.85
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	24.84%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रुपये करोड़ों में)

	31.03.2010
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	59.08

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

क्र. सं.	क्षेत्र	दिनांक 31.03.2010 को उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.73
2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	1.69
3.	सेवा क्षेत्र	0.57
4.	व्यक्तिगत ऋण	1.04

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	31.03.2010
1 अप्रैल को सकल एन.पी.ए. (अथ शेष)	161.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन.पी.ए.)	208.05
उपयोग (क)	369.09
घटा: (i) कोटि उन्नयन	33.87
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नयन खातों से की से की गई वसूली के अतिरिक्त)	128.78
(iii) बट्टे खातों में डालना	0.29
उपयोग (ख)	162.94
31 मार्च को सकल एन.पी.ए. (इति शेष) (क-ख)	206.15

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees in crore)

	31.03.2010
Total Advances to twenty largest borrowers	8155.91
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	24.91%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees in crore)

	31.03.2010
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	8392.85
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	24.84%

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees in crore)

	31.03.2010
Total Exposure to top four NPA Accounts	59.08

11.7 Sector-wise NPAs

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector as on 31.03.2010
1.	Agricultural & allied activities	0.73
2.	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	1.69
3.	Services	0.57
4.	Personal Loans	1.04

11.8 Movement of NPAs

(Rupees in crore)

Particulars	31.03.2010
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	161.04
Additions (Fresh NPAs) during the year	208.05
Sub-total (A)	369.09
Less: (i) Up-gradations	33.87
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	128.78
(iii) Write-offs	0.29
Sub-total (B)	162.94
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	206.15



11.9 विदेशी आस्तियां, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	31.03.2010
कुल आस्तियां	196.60
कुल एन.पी.ए.	0.19
कुल राजस्व	1.26

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रुपये करोड़ों में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेश
शून्य	शून्य

12. जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
13. बैंक ने भारत सरकार को लाभांश के भुगतान से छूट हेतु प्रतिवेदन किया है। भारत सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण इक्विटी शेयर्स पर लाभांश के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है।

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rupees in crore)

Particulars	31.03.2010
Total Assets	196.60
Total NPAs	0.19
Total Revenue	1.26

11.10 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(Rupees in crore)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

12. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.
13. Bank has represented to Govt. of India for exemption from payment of dividend. Pending receipt of approval from Govt. of India, no provision has been made for dividend on Equity Shares.



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/AUDITORS' REPORT

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
नई दिल्ली

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च-2010 के सलगन तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह-विवरणों सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को आबंटित कार्य के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय के विभागों की विवरणियां, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 726 शाखाओं तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई 172 अपरीक्षित शाखाओं की विवरणियों को भी शामिल किया गया है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 2.47 प्रतिशत, जमा राशियों का 6.77 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 2.28 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए ब्याज व्ययों का 7.22 प्रतिशत हिस्सा बनता है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। इन वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।

हमने अपना लेखा परीक्षण भारतवर्ष में सामान्यतः प्रचलित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है। लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर जाँच की गई है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएं सही हैं। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार है।

उपरोक्त परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नानुसार प्रतिवेदन करते हैं:

- I. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए गए फार्म क्रमशः "क" तथा "ख" में तैयार किए गए हैं।
- II. हमारे अभिमत के अतिरिक्त, निम्न की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:-
 - (क) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

To,
The President of India,
New Delhi

We have audited the attached Balance Sheet of Punjab & Sind Bank as at March 31, 2010 the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated returns of 20 branches, Zonal Offices and Central Office Departments audited by us as part of allocation of work among the Statutory Central Auditors, 726 branches audited by other auditors and 172 returns in respect of unaudited branches not visited by us. These unaudited branches account for 2.47 per cent of the advances, 6.77 per cent of deposits, 2.28 per cent of interest income on advances and 7.22 percent of interest expenses on deposits. The branches audited by us and those by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Subject to the limitations of the audit indicated in above paras and as required by the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertaking) Act, 1980 and the limitation of the disclosure required therein, we report as under:-

- I. The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- II. Without qualification our opinion attention is invited to -
 - a) Note No. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding adjustments required on account of non reconciliation of balances and clearance/ identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable.



(ख) नोट संख्या 10.6.5 अपीलों में लंबित विवादित कर-देयताओं के संबंध में है जिसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

ग) नोट सं. 10.6.3 जो कि रु. 171.59 करोड़ की आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) जिसमें विगत वर्ष तक के रु. 101.43 करोड़ सम्मिलित है, को सृजित न करने के संबंध में है जिसमें लेखा बहियों के अनुसार, समय के अंतराल के कारण, निवेश मूल्य में अंतर और आयकर अभिकलन में स्थाई अंतर होने के कारण तथा नोट सं. 10.6.2 जो कि रु. 3.63 करोड़ की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) को सृजित न करने और वर्तमान रु. 3.26 करोड़ की डीटीएल निधि को आहरित करने के कारण जो कि धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत बनाई तथा सुरक्षित रखी गई विशेष आरक्षितियां तथा प्रबंधन द्वारा उसको आहरित न करने के निर्णय के अनुसार।

III. बैंक की पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा नीतियों और ऊपर पैरा-II पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि:-

क. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमें दिखाई गई बैंक की बहियों के आधार पर तथा उपरोक्त पैरा-II एवं III में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है:-

- प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च, 2010 के मामलों का उचित उल्लेख है।
- लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।
- नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2010 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

(ख) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, सभी सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं और हमने इन्हें संतोषजनक पाया है।

(ग) बैंक के ऐसे सभी लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।

(घ) बैंक के कार्यालयों शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया है। केवल कुछ ही शाखाओं के मामले में, जिनके ब्यौरे पर्याप्त नहीं थे, उनके संदर्भ में आंचलिक कार्यालयों, प्रधान कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास किया गया है।

b) Note No.10.6.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.

c) Note No. 10.6.3 in respect of non creation of Deferred Tax Liability of Rs. 171.59 crore including Rs. 101.43 crore upto previous year, in respect of timing differences on account of variation in the value of investment as per books of accounts and for income tax computation considering the difference to be permanent and Note No. 10.6.2 regarding non creation of Deferred Tax Liability of Rs. 3.63 crore and withdrawal of the existing DTL amounting to Rs. 3.26 crore in respect of Special Reserve created and maintained under section 36(1)(viii) on the basis of management's decision not to withdraw the same.

III. Capital Adequacy as per Basel-I and Basel-II and other ratios disclosed in the Accounts by the Bank is subject to adjustments arising out of the Notes on Accounts, Accounting Policies and our remarks in para II above.

We further report that:-

(a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank and subject to our comments in para- II & III above:

- The Balance Sheet read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at March 31, 2010.
- The Profit & Loss Account, read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon reflects a true balance of profit for the year ended on March 31, 2010.
- The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash flow for the year ended March 31, 2010.

(b) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

(c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(d) The returns of the accounts received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit except that in the case of some branches where particulars were inadequate, the information available at the Zones / Head Office has been relied upon.



कृते एस. लाल एण्ड कं.

सनदी लेखाकार
(रजत अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 87130

कृते बंसल सिन्हा एण्ड कं.

सनदी लेखाकार
(निशांत चौधरी)
साझेदार
एम नं. 513802

For S. LALL & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
[RAJAT AGGARWAL]
Partner
M. No. 87130

For BANSAL SINHA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
[NISHANT CHAUDHARY]
Partner
M. No. 513802

कृते बलराम चंद्रा एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
(बलराम चंद्रा)
साझेदार
एम नं. 070875

कृते भाटिया एण्ड भाटिया

सनदी लेखाकार
(आर. भाटिया)
साझेदार
एम नं. 17572

**For BALRAM CHANDRA
& ASSOCIATES**

CHARTERED ACCOUNTANTS
[BALRAM CHANDRA]
Partner
M. No. 070875

For BHATIA & BHATIA

CHARTERED ACCOUNTANTS
[R. BHATIA]
Partner
M. No. 17572

कृते अलका एण्ड सुनील

सनदी लेखाकार
(सुनील गुप्ता)
साझेदार
एम नं. 084119

For ALKA & SUNIL

CHARTERED ACCOUNTANTS
[SUNIL GUPTA]
Partner
M. No. 084119

दिनांक : 23 अप्रैल, 2010
स्थान : नई दिल्ली

Dated: 23rd April, 2010
Place: New Delhi



बेसल II के लिए प्रकटीकरण-31 मार्च को समाप्त वर्ष 2010

BASEL II DISCLOSURES YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

तालिका डी एफ 1-अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

Table DF 1 SCOPE OF APPLICATION

गुणात्मक प्रकटीकरण क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश, तथा वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है; (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है; (iii) जिन्हें छूट दी गई है तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण ग) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
घ) बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन का स्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थाओं में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

Qualitative Disclosures (a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	The Bank does not belong to any group
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

तालिका डी एफ 2-पूंजी संरचना

Table DF 2 CAPITAL STRUCTURE

गुणात्मक प्रकटीकरण

Qualitative disclosures

लोअर टीयर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें:

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

बैंक ने लोअर टीयर 2 के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं जिनका भुगतान वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड्स को देशी दर-निर्धारण एजेन्सियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड्स की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:-

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are:

- बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 97 माह से 127 माह के बीच होती है।

- The bonds have a tenor ranging from 97 months to 127 months from date of the issue..



- यह प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खंड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- यह प्रपत्र अपनी अवधि के अन्तिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टायर- II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।
- इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टायर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों को गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टायर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टायर II पूंजी के अन्य संगठक टायर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

रु. करोड़ों में	
क) टायर I पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि
- प्रदत्त अंश पूंजी	383.06
- आरक्षितियाँ	1746.31
- नवोन्मेषी प्रपत्र	160.00
- अन्य पूंजी प्रपत्र	0.00
- उप योग	2289.37
- घटाएँ: टायर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	1.14
कुल टायर I पूंजी	2288.23
ख) टायर II पूंजी की कुल राशि (टायर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	1612.24
ग) उच्च टायर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
- कुल बकाया राशि	लागू नहीं
- इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
- पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टायर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
- कुल बकाया राशि	1110.00
- इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	375.00
- पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	1066.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	3900.47

- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

Rs. in Crore	
(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital:	383.06
- Reserves:	1746.31
- Innovative instruments:	160.00
- Other capital instruments:	0.00
- SUB-TOTAL	2289.37
- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments.	1.14
TOTAL TIER I CAPITAL	2288.23
(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	1612.24
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1110.00
- Of which amount raised during the current year.	375.00
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	1066.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(f) Total eligible capital.	3900.47



तालिका डी एफ 3—पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय उच्च कोटि की वैश्विक कार्यप्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरंभ कर दी है जो कि बेसल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बेसल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं:

	राशि-रु / करोड़
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	2167.97
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

समान्य बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि-रु / करोड़
ब्याज दर जोखिम	122.11
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	1.83
इक्विटी जोखिम	12.60

प्रचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं:

	राशि-रु / करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	197.25

बैंक हेतु कुल तथा टीयर I पूंजी अनुपात:

बेसल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	13.10%
बेसल II के अनुसार टीयर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	7.68%
बेसल I के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.74%
बेसल I के अनुसार टीयर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	6.88%

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

Capital requirements for credit risk:

	Amt. - Rs./ Crores
Portfolios subject to standardised approach @ 9%	2167.97
Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt. - Rs./ Crores
Interest rate risk	122.11
Foreign exchange risk (including gold)	1.83
Equity risk	12.60

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - Rs./ Crores
Basic indicator approach	197.25

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	13.10%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	7.68%
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	11.74%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	6.88%



विवेक पूर्ण स्तर पर पूंजी की आवश्यकता

	राशि-रु / करोड़
संशोधित ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 9% की दर से	2680.54
उधार एवं बाजार जोखिमों के लिए बेसल I के ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता का 90% (2991.18 करोड़ का 90%)	2692.62
विवेकपूर्ण स्तर—उपरोक्त स्तर से अधिक	2692.62

तालिका डी एफ 4—ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा:

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेक पूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है :

क) जहाँ मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।

ख) स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार के संबंध में खाता "अनियमित" हो जाता है यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक अनियमित बना रहता है तथा / अथवा अधिविकर्ष / नकद ऋण (ओ.डी. / सी.सी.) के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती अथवा जमा की गई राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाये गये बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

ङ) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 01.02.2006 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियाँ जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि यह चुकोती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

Prudential Floor on the Capital Required

	Amt. - Rs / Crores
Minimum Capital required as per the Revised Framework @ 9%	2680.54
90% of Minimum Capital required as per Basel I Framework for Credit & Market Risk (90% of 2991.18 crores)	2692.62
Prudential Floor Higher of the above	2692.62

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

- Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.



यहां अतिदेय राशि से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी राशि देय है यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता, जहाँ किसी तिमाही के दौरान लगाए गए ब्याज उस तिमाही के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाये तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्तिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भा.रि.बैं. द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संरचित खाते (ख) अधिक चले समय के अतः ग्रस्त कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (च) अधिग्रहण वित्त (छ) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (ज) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ण) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कम्पनी/पुनर्निर्माण कम्पनी को बेचना (त) गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय/विक्रय (थ) खातों के उन्नयन (द) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते आदि।

(ख) ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाण तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों की इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम:

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण नीति का पुनरीक्षण करता है। बैंक की ऋण नीति वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड तथा जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का ध्यान रखा जाता है :-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबद्ध जोखिम रूप रेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के सवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी-निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क की परिभाषा।
- निरीक्षण-तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी-निर्देशों का अनुपालन।

Here, 'Overdue' mean any amount due to the bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the bank. Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset, ceases to generate income for the bank.

Besides above, bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under (a) Restructured accounts, (b) Project under implementation involving time overrun, (c) Post shipment Suppliers' Credit, (d) Export Project Finance, (e) Take over Finance, (f) Govt. guaranteed Advance, (g) Advance under Rehabilitation approved by BIFR / TLI, (h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, (i) Sale of Financial Assets to Securitisation Company / Reconstruction Company, (j) Purchase / Sale of Non-Performing Financial Assets, (k) Up-gradation of accounts and (l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board and Risk Management Committee, at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Definition of credit rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.



ऋण जोखिम प्रबंधन अभिकल्पना :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक का संगठनात्मक ढाँचा शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मंडल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर सम्यक निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) निदेशक मण्डल की एक उप समिति है, जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होते हैं, जो ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं आयोजना तैयार करती है।
- संचालनगत स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके पूरक कार्यों में मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन, बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम पर निगरानी करना, तथा मण्डल को तर्कसंगत सीमाओं, बड़े ऋण कारोबार, व्यावसायिक प्रबंधन आदि से संबंधित शक्तियाँ प्रदत्त करने की संस्तुति शामिल है।
- महा प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करती है और मण्डल/आर.एम.सी./सी.आर.एम.सी. द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंडों के अनुपालन को लागू करती है। जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष द्वारा विधिवत् अनुसमर्थित है।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग, ऋण निवेश सूची की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं का अभिज्ञान करना तथा कमियों को दूर करने के उपाय करता है। ऋण पुनरीक्षण/ऋण संबंधी लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा कार्यों द्वारा किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन :

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी-शक्तियों का प्रत्यायोजन बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यावसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन – बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण एवं मूल्यांकन-निर्णयों में मददगार होते हैं।

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level who have the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority-Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.



- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन – शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक एक ज्यादा अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

जोखिम आंकलन :

वर्तमान में, व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम रेटिंग के माध्यम से ऋण जोखिम का प्रबंधन तथा संविभाग स्तर पर परिसम्पत्तियों का जोखिम मूल्यांकन जोखिम भार के जरिए निर्धारित किया जाता है और इस जोखिम भार के आधार पर पूंजी का रख-रखाव किया जाता है।

परिमाणात्मक स्थिति

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि- करोड़ रुपये
1.	निधि-आधारित ऋण राशि	32738.67
2.	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	2340.01

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि- करोड़ रुपये
1.	विदेशी निधि-आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	गैर-निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2.	देशी निधि-आधारित ऋण जोखिम	32738.67
	गैर-निधि आधारित ऋण जोखिम	2340.01

ऋण जोखिम का उद्योग-वार वितरण

क्र. सं. S. No.	उद्योग INDUSTRY	निधि आधारित FUND BASED	गैर निधि आधारित NON- FUND BASED	कुल TOTAL
1.	पैट्रोलियम/Petroleum	668.24	0.02	668.26
2.	विद्युत/Electricity	3193.87	35.02	3228.89
3.	अन्य धातु तथा धातु उत्पाद/Other Metal & Metal Products	332.73	36.67	369.40
4.	रसायन, रंजक एवं पेंट/Chemical, Dyes & Paints	388.51	30.22	418.73
5.	समस्त इंजीनियरिंग/All Engineering	384.13	169.20	553.33
6.	सीमेंट/Cement	403.80	0.84	404.64
7.	अन्य कपड़ा उद्योग/Other Textile	550.51	20.95	571.46
8.	लोहा एवं इस्पात/Iron & Steel	889.30	69.41	958.71
9.	मूलभूत आवश्यक तत्व/Infrastructure	2733.03	709.24	3442.27
10.	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां/NBFC	5424.75	15.49	5440.24

- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

RISK MEASUREMENT:

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Quantitative Disclosures

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - Rs./ Crores
1.	Fund Based Credit Exposures	32738.67
2.	Non Fund Based Credit Exposures	2340.01

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - Rs./ Crores
1.	Overseas Fund Based Credit Exposures	NIL
	Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2.	Domestic Fund Based Credit Exposures	32738.67
	Non Fund Based Credit Exposures	2340.01

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

राशि- करोड़ रुपए / Amt. - Rs./ Crores



11.	कोयला / Coal	88.61	0.87	89.48
12.	खादान / Mining	149.43	33.45	182.88
13.	सूती कपड़ा उद्योग / Cotton Textile	527.76	18.10	545.86
14.	जूट उद्योग / Jute Textile	7.75	0.00	7.75
15.	चीनी / Sugar	168.05	1.01	169.06
16.	चाय / Tea	1.94	0.00	1.94
17.	खाद्य प्रसंस्करण / Food Processing	430.27	9.51	439.78
18.	वनस्पति तेल / Vegetable Oil	84.31	27.26	111.57
19.	तम्बाकू / Tobacco	0.13	0.00	0.13
20.	कागज तथा कागज उत्पाद / Paper & Paper Products	90.13	1.92	92.05
21.	रबड़ तथा रबड़ उत्पाद / Rubber & Rubber Products	174.39	13.33	187.72
22.	चमड़ा / Leather	82.03	29.41	111.44
23.	रत्न और आभूषण / Gems & Jewellery	35.83	7.56	43.39
24.	निर्माण / Construction	502.70	424.23	926.93
25.	ट्रकों सहित आटोमोबाईलस / Automobiles	117.34	8.64	125.98
26.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर / Computer Software	34.66	2.77	37.43
27.	अन्य उद्योग / Other Industries	751.90	121.52	873.42
	कुल योग / Grand Total	18216.10	1786.64	20002.74

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकारः

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY
BREAKDOWN OF ASSETS:

राशि- करोड़ रूपए / Amt. - Rs./ Crores

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि) Maturity Pattern (Time Buckets)	ऋण एवं अग्रिम Loans & Advances	निवेश (बही मूल्य) Investments (Book Value)	विदेशी मुद्रा Foreign Currency		जमाराशियां Deposits	उधार Borrowings
			देयताएं Liabilities	आस्तियां Assets		
1 दिन / 1 day	200.30	0.00	45.83	122.18	421.15	0.00
2-7 दिन / 2-7 days	489.19	249.40	2.68	118.35	798.15	1598.92
8-14 दिन / 8-14 days	1506.99	440.74	5.73	14.14	1347.46	0.00
15-28 दिन / 15-28 days	1828.19	424.72	33.78	60.31	3875.01	0.00
29 दिनों से 3 माह / 29 days to 3 months	7024.50	1085.58	24.47	125.49	7571.19	522.45
3 माह से अधिक से 6 माह तक / Over 3 months to 6 months	4304.54	192.12	63.19	177.71	8355.47	34.60
6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक / Over 6 months to 1 year	2268.28	53.16	118.27	0.00	13247.48	0.08
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्षों तक / Over 1 year	6214.58	826.25	47.57	0.00	5290.26	120.00
3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक / Over 3 years to 5 years	3625.82	2152.84	6.83	0.00	1972.35	40.00
5 वर्षों से अधिक / Over 5 years	5176.72	12462.03	0.00	0.00	6276.56	1385.00
कुल / TOTAL	32639.11	17886.84	348.35	618.18	49155.08	3701.05



एन.पी.ए. की राशि (सकल)

श्रेणी	राशि-रु / करोड़
1. अवस्तरीय	176.18
2. संदिग्ध 1	18.66
3. संदिग्ध 2	10.64
4. संदिग्ध 3	
5. हानि	0.67

निवल एन.पी.ए

निवल एन.पी.ए	116.63 करोड़
--------------	--------------

एन.पी.ए. अनुपात

श्रेणी	प्रतिशत
सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	0.63%
निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	0.36%

एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि-रु / करोड़
अथ शेष	161.04
जमा	208.05
कमी	162.94
इति शेष	206.15

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि-रु / करोड़
अथ शेष	78.95
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	116.15
बट्टे खाते डालना	77.20
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	31.70
इति शेष	86.20

गैर निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि-रु / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	25.03

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि-रु / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	25.37

Amount of NPAs (Gross)

Category	Amt. - Rs./ Crores
1. Substandard	176.18
2. Doubtful 1	18.66
3. Doubtful 2	10.64
4. Doubtful 3	
5. Loss	0.67

Net NPAs

Net NPAs	116.63 Cr.
----------	------------

NPA Ratios

Category	Percent
1. Gross NPAs to Gross advances	0.63%
2. Net NPAs to Net advances	0.36%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - Rs./ Crores
Opening Balance	161.04
Additions	208.05
Reductions	162.94
Closing Balance	206.15

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - Rs./ Crores
Opening Balance	78.95
Provisions made during the period	116.15
Write-off	77.20
Write-back of excess provisions	31.70
Closing Balance	86.20

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - Rs./ Crores
Amount of Non-Performing Investments	25.03

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - Rs./ Crores
Provisions held for non-performing investments	25.37



निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि-रु / करोड़
अथ शेष	3.63
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	74.21
बट्टे खाते डालना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	3.39
इति शेष	74.45

तालिका डी एफ 5 – ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है – घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, ईक्रा, फिच इंडिया तथा केयर तथा अनिवासी कारपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एंड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।
2. इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बेसल-II के अंतर्गत क्रिसिल परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।
3. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण जो उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है का इस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। केवल वह श्रेणी निर्धारण जो कि संबंधित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हैं तथा जिसकी गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का ही प्रयोग किया जाता है।
4. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
5. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के संबंध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कारपोरेट ग्रुप में एक कंपनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - Rs./ Crores
Opening Balance	3.63
Provisions made during the period	74.21
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	3.39
Closing Balance	74.45

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, Fitch India, and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.
2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.
3. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
4. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
5. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.



6. आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
 7. जहां जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिसपर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150% जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि, पर 150% जोखिम भार माना जाएगा, सिवाय ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू है।
 8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए लागू जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोखिम भार लागू होगा। बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखिम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कारपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर-निर्धारित दीर्घ अवधि दावों हेतु जोखिम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।
 9. यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहां उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई हैं जिसमें विभिन्न जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो न्यूनतम जोखिम भार में से दूसरा उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है।
 10. जहां विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं:
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहां श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम हैं) बैंक के केवल गैर निर्धारित दावों पर लागू है, जहां वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि यह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर-निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर निर्धारित मामलों पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारित किया गया है तो उसी प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि निर्धारित ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।
6. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
 7. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
 8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
 9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
 10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.



मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार राशि

Quantitative Disclosures

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

जोखिम भार श्रेणी Risk Weight Category	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार Exposure After Credit Risk Mitigation	गैर निर्धारित ऋण जोखिम Un-Rated Exposure	निर्धारित ऋण जोखिम Rated Exposure
100% जोखिम भार से कम / Below 100 % risk weight	18511.93	10782.79	7729.14
100% जोखिम भार / 100 % risk weight	15042.60	13286.70	1755.90
100% जोखिम भार से अधिक / More than 100 % risk weight	1128.65	670.81	457.84
कटौती / Deducted	0.00	0.00	0.00
कुल / TOTAL	34683.18	24740.30	9942.88

तालिका डी एफ 6. ऋण जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

गुणात्मक प्रकटीकरण

Qualitative Disclosures

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों को अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं:

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- संपार्श्विक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियां

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

2. Eligible financial collateral:

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्न हैं:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
- ii. 99.99% की शुद्धता प्रमाणित सोना।
- iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां।
- iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र।
- v. जीवन बीमा पॉलिसियां।

- i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies



- vi. ऋण प्रतिभूतियां – शर्तों के अनुसार वर्गीकृत
- vii. बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण प्रतिभूतियां।
- viii. शर्तों अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध हैं जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियां

जहाँ गारंटियां सीधे तौर से सुनिश्चित, अविकल्पी, और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।

पात्र गारंटर्स/प्रति गारंटर्स के वर्ग में सम्मिलित हैं:

- i. संप्रभु संप्रभुता प्राप्त संस्थाएं, (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ उल्लेखित एम.डी.बी., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिमयुक्त हैं।
- ii. अन्य संस्थाएं जिनको एए या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त है।

बैंक अभिमुखीकरण के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियां स्वीकार करता है। फिर भी बेसिल-II के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन करने से पूर्व, पात्र संपार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटर्स की रेटिंग करते समय प्रति-पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.एफ.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति; कटौती करने के उपरांत— **रुपए 1698.95 करोड़**

- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements.

The range of eligible guarantors / counter guarantors includes:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii. Other entities rated AA or better.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Quantitative Disclosures

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts **Rs. 1698.95 crore**



तालिका डी एफ 7. प्रतिभूतिकरण: मानकीकरण दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर कोई अलग से नीति नहीं है। बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन— रूपए 420.77 करोड़

तालिका डी एफ 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम परिभाषा के अनुसार, बाजार कीमतों में विपरीत हलचल के कारण, बैंक को संभाव्य हानि हो सकती है। बाजार जोखिम स्थितियों पूंजीगत प्रभार आवश्यकताओं के अनुसार निम्न हैं:

- ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर संबंधी प्रलेखों पर ब्याज दर जोखिम।
- ट्रेडिंग बुक में शेयरों से संबंधित मूल्य जोखिम।

जोखिम को कम करने के लिए, जोखिम प्रबंधन विभाग ने अनेक सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे कि स्टाप लॉस लिमिट्स आदि। पूर्वनिर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करने के मामले की जानकारी जोखिम प्रबंधन विभाग को दी जाती है जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक संविभाग बनाया है। इस प्रकार परिकल्पित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। सी.आर.ए.आर. निकालने के लिए, ऋण जोखिम और बाजार जोखिम हेतु समुचित जोखिम भार आस्तियों पर विचार किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि-रु करोड़ में
ब्याज दर जोखिम	65.48
शेयर स्थिति जोखिम	14.78
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

तालिका डी एफ 9. परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने "परिचालन जोखिम प्रबंधन" और "व्यापार निरंतरता योजना तथा आपदा निवारण प्रबंधन" नीति बनाई है। बैंक के बोर्ड द्वारा इन नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक "लॉस डाटा" एकत्र करने की प्रक्रिया में है।

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

There is no separate policy of the Bank on securitization of Standard Assets. Bank has not sold out credit portfolio under securitization to any other entity(ies).

Quantitative Disclosures

Assignment of Standard Pool Assets Rs. 420.77 crore.

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk is defined as the risk of potential losses that the bank may incur due to adverse movements in market prices. The market risk positions subject to capital charge requirement are:

- Interest Rate Risk pertaining to Interest Rate related instruments in trading book.
- Price risk pertaining equities in trading book.

To manage the risk, the Risk Management Department laid down various limits such as stop loss limits etc. Violations of pre-determined limits are reported to Risk Management Department where actions to address them are determined by the appropriate authorities.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading portfolio as per RBI guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted assets. The aggregated Risk weighted Assets for Credit Risk and Market Risk are taken into consideration for arriving at the CRAR.

Quantitative disclosures

The capital requirements for:	Amt. - Rs. in Crores
Interest rate risk;	65.48
Equity position risk;	14.78
Foreign exchange risk;	Nil

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The bank has formulated the policy on "Operational Risk Management" and the "Business Continuity- Plan & Disaster Recovery Management". These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting "Loss Data"



कार्यकारी निदेशक ओ.आर.एम.सी. के अध्यक्ष हैं। ओ.आर.एम.सी. की बैठक तिमाही आधार पर की जाती है। शाखाओं की "जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा" का कार्य निरीक्षण विभाग द्वारा स्थल पर ही किया जाता है। 3 करोड़ रुपये से अधिक सीमा के ऋण आवेदनों की नियमित क्रेडिट लेखा परीक्षा की जाती है।

निरीक्षण विभाग और सतर्कता विभाग द्वारा ए.सी.बी. को मियादी रूप से आंतरिक व्यवस्थाएं, समायोजन और धोखाधड़ी संबंधी मामलों की जानकारी दी जाती है। परिचालन जोखिम और व्यापार निरंतरता योजना से संबंधित नियामक विवरण और समयानुसार सूचना दी जा रही है। बैंक परिचालन जोखिम पर पूंजी प्रभाव की गणना हेतु 'बेसिक इंडिकेटर एप्रोच' के अनुसार कार्य कर रहा है।

तालिका डी एफ 10. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम की गणना और निगरानी अनेक प्रकार की कसौटियों पर जाँच करने के बाद होती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्याज दर में बदलाव के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। स्थिर आय प्रतिभूतियों पर प्रभाव जानने के लिए प्रतिफल रेखा में 25 बी.पी.एस. से 100 बी.पी.एस. के समानांतर विस्थापन की परिकल्पना की जाती है।


The ORMC is head by the Executive Director. The meeting of the ORMC is convened on quarterly basis. The Inspection Deptt. of the bank is undertaking on site "Risk Based Internal Audit" of the branches. The credit proposals / limits beyond Rs. 3 Crore are been regularly subject to Credit audit also.

The Inspection Deptt as well as H.O. Vigilance Deptts. are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. The regulatory reporting w.r.t. Operational Risk and Business Continuity Plan are being made timely & regularly. Bank is following "Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures

The interest rate risk is measured and monitored by conducting various stress tests. The immediate impact of the changes in the interest rates is analysed under this approach. A parallel shift in yield curve from 25 bps to 100 bps is assumed for fixed income securities to arrive at the impact.



गुरुद्वारा सीसगंज साहिब-दिल्ली / Gurudwara Sisganj Sahib-Delhi

2009-10 **वार्षिक रिपोर्ट**
ANNUAL REPORT



पी.एस.बी.

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

(भारत सरकार का उपक्रम) (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ)

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)